उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973

उत्तरप्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973

उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं संशोधन उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में

"उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973"
के नाम से प्रवृत्त।

विषय सूची

धाराएँ **पृष्ठ सं0**

अध्याय 1 1

प्रारम्भिक 1

1— संक्षिप्त नाम एवं विस्तार 1

2— परिभाषाएं 1

अध्याय 2 4

विकास प्राधिकरण और इसका उद्‌देश्य 4

3— विकास क्षेत्रों की घोषणा 4

4— विकास प्राधिकरण 4

5— प्राधिकरण के कर्मचारी 8

5क— केन्द्रीयकृत सेवाओं का सृजन 9

6— सलाहकार परिषद 10

7— प्राधिकरण के उद्‌देश्य 11

7—क. राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य 11

7—ख. राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण 12

अध्याय 3 13

महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना 13

8— विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और उसके लिए महायोजना 13

9— क्षेत्रीय विकास योजना 14

10— योजना को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना 15

11— योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 15

12— योजना के प्रारम्भ की तिथि 16

अध्याय 3—क 16

विकास क्षेत्र में प्रमुख सड़कें 16

12क— प्रमुख सड़कों से लगे हुए कतिपय भवनों के गृह मुख का रखरखाव एवं सुधार 16

अधयाय 4 17

महायोजना एवं आंचलिक विकास योजना को संशोधन 17

13— योजना का संशोधन 17

अधयय 5— 18

भूमि का विकास 18

14— विकास क्षेत्र में भूमि का विकास 18

15— अनुमति के लिए आवेदन 20

15क—पूर्णता प्रमाणपत्र 23

16– योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग 24
अध्याय 6 24
भूमि का अर्जन और व्ययन 24
17– भूमि का अनिवार्य अर्जन 24
17–क. राज्य प्राधिकरण का भू–बैंक 24
17–ख. राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण :– 25
18– सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का व्ययन 25
19– नजूल भूमि 26
अध्याय 7 27
विलेख, लेखा एवं लेखा संपरीक्षा 27
20– प्राधिकरण का कोष 27
20–क. राज्य प्राधिकरण की निधियाँ –– 28
21– प्राधिकरण का बजट 29
21–क. राज्य प्राधिकरण का आय–व्ययक 29
22– लेखा एवं लेखा संपरीक्षा 29
23– वार्षिक रिपोर्ट 30
24– पेंशन और भविष्य निधि 30
अध्याय 8 30
अनुपूरक एवं प्रकीर्ण उपबन्ध 30
25– प्रवेश की शक्ति 30
26– शास्ति 31
26क– सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवरोध 31
26ख– धारा 26 क के अधीन हटाने के लिए प्रतिकर हेतु दावा 33
26ग–प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निक्षिप्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटा सकेगा 34
26घ–अतिक्रमण निवारित न करने के लिए शास्ति 34
27– भवन घ्वस्त करने का आदेश 35
28– विकास राकने की शक्ति 36
28क– अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति 37
29– प्राधिकरण को अन्य शाक्तियां प्रदान करना 37
30– कम्पनियों द्वारा अपराध 37
31– जुर्माने को, जब वसूला जाय, भुगतान प्राधिकरण को किया जाना 38
32– अपराधों का प्रशमन 38
33– प्राधिकरण की सुख–सुविधा प्रदान करने या स्वामी के व्यतिक्रम की स्थिति में उसके व्यय पर विकास कार्य करने और कुछ मामलों में उपकर उद्गृहीत करने की शक्ति 38
34– कतिपय मामलों में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति 40
35– प्राधिकरण की विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति 40

36– प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण 41
37– विनिश्चय की अन्तिमता 41
37–क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा 42
38– विकास प्रभार का संदाय 42
38–क. भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार और नगरीय विकास अधिभार उद्‌गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति 42
39– • • • • • • • • • • • } 43
39क– सुख–सुवधिाओं के लिए पथकर 43
39–ख. भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा 43
40– प्राधिकरण के बकाया धन की वसूली 43
41– राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण 44
42– विवरणी एवं निरीक्षण 44
43– नोटिस आदि की तामील 45
44– सार्वजनिक सूचना को जानकारी में कैसे लाया जाएग? 46
45– सूचना, आदि, युक्तियुक्त समय नियत करने के लिए 46
46– आदेशों का प्रमाणीकरण तथा प्राधिकरणों के दस्तावेज 46
46–क. राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणन :– 46
47– सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे 47
47–क. राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे 47
48– न्यायालयों की अधिकारिता 47
49– अभियोजन की मंजूरी 47
50– सद्‌भाव में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण 47
51– प्रत्यायोजन करने की शक्ति 47
52– व्यावृति 48
53– छूट 48
54– कतिपय मामलों में योजना को उपान्तरित किया जाना 48
55– नियम बनाने की शक्ति 49
56– विनियम बनाने की शक्ति 49
57– उपविधि बनाने की शक्ति 50
58– प्राधिकरण का विघटन 51
59– निरसन, आदि तथा व्यावृति 52
60– निरसन और व्यावृति 58

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1— संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

(1) [1]{इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 होगा।}

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों तथा प्रतिरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, अधिगृहीत या पट्टे पर ली गई भूमि को अपवर्जित करके सम्पूर्ण [2]{उत्तराखण्ड} पर है।

2— परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक—

(क) "सुविधा" के अन्तर्गत है सड़क, जलआपूर्ति, सड़क प्रकाश, जल निकास, मल निकास, लोक कार्य और ऐसी अन्य सुविधा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "भवन" के अन्तर्गत है कोई संरचना, निर्माण या संरचना या निर्माण का भाग, जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने हेतु आशयित है, चाहे वह वास्तविक प्रयोग में हो या न हो;

(ग) "भवन संक्रिया" के अन्तर्गत है पुनर्निर्माण संक्रिया, भवन में संरचनात्मक परिवर्तन या भवन का परिवर्धन और अन्य संक्रिया, जो सामान्यतया भवन के सन्निर्माण के सम्बन्ध में की जाती है;

(घ) [3]{"उपविधि"से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित उपविधि अभिप्रेत है;}

(घघ) [4]{"अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष"से स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।;}

[5]{(घघघ)"नगर विकास अधिभार' से भूमि के विकास के लिए धारा 38—क के अधीन निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;}

---

[1]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 की अधिसूचना संख्या 1081 / श0वि0—आ0 / 2002—(238) / 2002 दिनांक 8.112002 एवं अधिसूचना 504 / v / -A—2007—08 (आवास) / 2007, दिनांक 12.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(ग) द्वारा अन्तःस्थापित।

(ङ) "विकास" से इसके व्याकरणिक परिवर्तनों सहित, भूमि में, पर या के ऊपर या नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य संक्रिया करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसमें पुनर्विकास सम्मिलित है;

(च) "विकास क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र होना घोषित किया गया है;

[1]{(छ) "विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण" से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे स्थानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द 'प्राधिकरण' आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संरचित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण संरचित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा;}

(छछ) "विकास प्राधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा" से धारा 5—क के अधीन सृजित केन्द्रीयकृत सेवा अभिप्रेत है;

(छछछ)[2]{"विकास शुल्क" से ऐसी किसी व्यक्ति या निकाय पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासी तंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तंत्र के निर्माण हेतु धारा 15 के अधीन अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;}

[3]{(छछछछ) "विकास योजना" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना अभिप्रेत है;}

[4]{(छछछछछ) "मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक" से राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है;}

(ज) "अभियांत्रिकी संक्रिया" के अन्तर्गत सड़क बनाना या सड़क तक पहुँच के माध्यम का नक्शा बनाना और जलापूर्ति के माध्यम का नक्शा बनाना है;

---

[1]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(च) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[4]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(च) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[1]{(जज) "भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार" से महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग के परिवर्तन के लिए धारा 38–क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा किसी निकाय पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;}

[2]{(जजज) "अनुज्ञा शुल्क" से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिए धारा 39–ख के अधीन लाइसेंस चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;}

(झ) "पहुँच का माध्यम" में वाहनों के लिए या पैदल यात्रियों के लिए पहुँच का कोई माध्यम सम्मिलित है, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक और इसमें सड़क भी शामिल है;

(झझ) "नामान्तरण प्रभार" से प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यक्ति को आवण्टित सम्पति का अपने नाम में नामान्तरण की ईप्सा करने वाले व्यक्ति पर धारा 15 के अधीन उद्गृहीत प्रभार अभिप्रेत है;

[3]{(झझझ) "निजी विकास कर्ता" से किसी वैयक्तिक, कम्पनी अथवा ऐशोसियेशन, वैयक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है जिसकी विकास के लिए भूमि स्वयं की हो अथवा चाहे क्रय द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से भूमि जोड़ने हेतु सहमत या एकत्र हुए हों और जिसे इस अधिनियम की धारा 39–ख के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो;}

(ञ) [4]{"विनियम" से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विनियम अभिप्रेत है;}

(ट) [5]{"नियम" से राज्य सरकार अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम अभिप्रेत है;}

(टट) "ढेर लगाने का शुल्क" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है, जो धारा 15 के अधीन उस व्यक्ति या निकाय से उद्ग्रहणीय होता है जो प्राधिकरण की भूमि पर या सार्वजनिक सड़क में या सार्वजनिक स्थल पर भवन सामग्री रखता है;

(ठ) "भवन निर्माण करना" में इसके व्याकरणिक परिवर्तनों सहित निम्नलिखित शामिल है–

(i) किसी भवन का कोई तात्विक परिवर्तन या वृहदकरण;

(ii) सम्परिवर्तन, –

(क) भवन के, जो मूलतः मानवीय आवास के स्थान में मानवीय आवास के लिए सन्निर्मित नहीं है;

(ख) मानवीय आवास के लिए एक से अधिक आवास में, भवन के जो मूलतः एक ऐसे स्थान के रूप में निर्मित है; या

---

[1]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(छ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(छ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(ज) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[4]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(झ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[5]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 3(ञ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

(ग) मानवीय आवास के दो या अधिक स्थलों की अधिकतम संख्या में संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा;

(iii) भवन का ऐसा परिवर्तन, जो उसके जल निकास या सफाई व्यवस्था के परिवर्तन को प्रभावित करे या तात्विक रूप में उसकी सुरक्षा को प्रभावित करे;

(iv) किसी भवन के किसी कमरे, निर्माण, गृहों या अन्य संरचना का परिवर्धन; और

(v) किसी सड़क या भूमि से, जो दीवार के स्वामी से सम्बन्धित नहीं है, से सम्बन्धित दीवार में, ऐसी सड़क या भूमि पर खुलने वाले दरवाजे का निर्माण।

(ठठ) "जल–शुल्क" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किये गये जल का भवन निर्माण संक्रिया या भवन के सन्निर्माण के लिए प्रयोग करने वाले व्यक्ति या निकाय पर धारा 15 के अधीन उद्गृहीत किया जाता है;

(ड) "क्षेत्र" से अभिप्रेत है, उन खण्डों में से कोई एक, जिसमें इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र का विभाजन किया जा सकेगा;

(ढ) "भूमि" शब्द का वही अर्थ है, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 में उसे दिया गया है।

अध्याय 2

विकास प्राधिकरण और इसका उद्देश्य

3— विकास क्षेत्रों की घोषणा

यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास किये जाने की अपेक्षा की जाती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी।

[1]{परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन आच्छादित क्षेत्र के इस धारा के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के प्राविधान ऐसे क्षेत्र के लिए निरसित हो जायेंगे।}

4— विकास प्राधिकरण

[2]{(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण' नाम के साथ, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, एक प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी।}

---

[1]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 4 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[2]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[1]{(1–क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को उनके विकास क्षेत्र के विस्तार को परिभाषित करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी परिभाषित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों को पदाभिहित कर सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस उपधारा के अधीन ऐसे स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी घोषित/ पदाभिहित कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए कृत्य कर सकेंगे।}

[2]{(1–ख) ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के विद्यमान परिषद् इस अधिनियम के अधीन धारा 4 की उपधारा (1–क) में प्रतिनिधानित शक्तियों की सीमा तक स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के परिषद समझे जायेंगे।}

(2) [3]{"उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण"} उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम से निगमित निकाय होगा, जिसे जंगम एवं स्थावर दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ शाशवत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद दाखिल करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जाएगा।

[4]{(2–क)(1) उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी; अर्थात्–

(क) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रमुख सचिव/ सचिव जो उपाध्यक्ष होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक एक अपर मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;

(ङ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव– पदेन सदस्य;

(च) राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

---

[1]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

[2]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

[3]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (घ) द्वारा अन्तःस्थापित।

(छ) राज्य सरकार के नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ज) राज्य सरकार के वन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(झ) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ञ) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव – पदेन सदस्य;

(ट) राज्य सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक– पदेन सदस्य;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक – पदेन सदस्य;

(ड) ऐसे अन्य गैर सरकारी सदस्य, जो दो से अधिक नहीं होंगे, समय–समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

उपर्युक्त खण्ड (ड) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे;

परन्तु यह कि ऐसा गैर सरकारी सदस्य अपने पद से मुख्य प्रशासक को सम्बोधित स्वलिखित त्याग–पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अथवा किसी त्रुटि के होने के कारण यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य प्राधिकरण का गठन विधिमान्य नहीं है।}

(3) [1]{स्थानीय विकास} प्राधिकरण में उस विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित नगर का सम्पूर्ण या कोई भाग शामिल है, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात–

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी;

(ख) उपाध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी;

[2]{(खख) स्थानीय विकास प्राधिकरण का सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।}

(ग) राज्य सरकार के उस विभाग का, जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरणों से सम्बद्ध कारोबार का संव्यवहार किया जा रहा है, भारसाधक सचिव, [3]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति} पदेन;

(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव, [4]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति} पदेन;

---

[1]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[2]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (च) द्वारा अन्तःस्थापित।

[3]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशाधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[4]उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013, के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।

(ङ) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, [1]{उत्तराखण्ड}, [2]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति}

(च) उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक, [3]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति} पदेन;

(छ) मुख्य नगर अधिकारी, [4]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति} पदेन;

(ज) प्रत्येक जिले का, जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट,[5]{अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति} पदेन;

(झ) चार सदस्य, जिनका निर्वाचन उक्त नगर के, जहाँ से वे स्वयं हैं, नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसा सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, जैसे ही वह नगरपालिका का सदस्य रहने के परिवरत हो जाता है;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा तीन से अधिक सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) उपाध्यक्ष [6]{स्थानीय विकास प्राधिकरण का} की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी।

(5) उपाध्यक्ष [7]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} की निधियों से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा, जैसे इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाये।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं [8]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} की बैठक में उपस्थित होने के बजाय खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में, विभाग के उपसचिव से अनिम्न और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में, नगर नियोजक से अनिम्न श्रेणी तथा खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में, अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने की लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। ऐसे नियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।

(7) उपधारा (3) में वर्णित क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, [9]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पाँच से अन्यून और ग्यारह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें विकास

---

[1] **अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 की अधिसूचना संख्या 1081/श0वि0–आ0/2002–(238) /2002 दिनांक 8.112002 एवं अधिसूचना 504/v/-A–2007–08 (आवास)/2007, दिनांक 12.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[3]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[4]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[5]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (छ) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[6]**उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (ज) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[7,8 एवं 9] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (झ) द्वारा प्रतिस्थापित।**

क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले नगरपालिका परिषदों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों से कम से कम एक सदस्य शामिल हैं, जो ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए;

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष और [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} के पदेन सदस्य के अतिरिक्त, अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पदत्याग कर सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर उसका पद रिक्त किया गया समझा जाएगा।

(8) [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} का कोई भी कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता अथवा उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

5— प्राधिकरण के कर्मचारी

[3]{(1) धारा 4 की उपधारा (2—क) में उपबन्धित राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक के रूप में तीन सुयोग्य व्यक्तियों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का पालन और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रतिनिधानित किया जाय।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।

(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों से आच्छादित होंगे।}

[4]{(4)} राज्य सरकार दो उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः [5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} के सचिव एवं मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसे विनियम द्वारा विहित किया जाए अथवा [6]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} या उसके उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाये।

[1,2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 5 (झ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।

[4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (क) द्वारा पुर्नसंख्यांकित।

[5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]{(5)} ऐसे नियंत्रण एवं निर्बन्धनों के अधीन, जैसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाये, [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} ऐसी संख्या में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जैसे उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो और उनके पदनाम तथा संवर्ग को निर्धारित कर सकेगा।

[3]{(6)} [4]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी [5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} के कोष से ऐसे वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसे इस निमित्त निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

5क— केन्द्रीयकृत सेवाओं का सृजन

(1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी चीज के होते हुए भी राज्य सरकार, किसी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 की उपधारा (4) में वर्णित पदों से भिन्न ऐसे अन्य पदों के लिये, जैसे राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक 'विकास प्राधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा' का सृजन कर सकेगी, जो सभी विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हो और भर्ती की रीति एवं शर्तों को और सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों को विहित कर सकेगी।

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा के सृजन पर, ऐसे सृजन के तत्काल पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पद पर सेवारत व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा शासित या प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति न हो, ऐसी सेवा में, यदि वह अन्यथा विकल्प नहीं देता है, —

(क) अन्तिम रूप से यदि वह अपने पद पर पहले से स्थायी था;

(ख) अस्थायी रूप से, यदि वह अस्थायी या और स्थानापन्न पद धारण करता था,

आमेलित कर लिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा के सृजन के तीन मास के भीरत, सरकार के आवासन विभाग को ऐसी केन्द्रीकृत सेवा में आमेलित न किए जाने के अपने विकल्प से अवगत कराएगा, जिसमें असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयकृत सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम, या अस्थायी रूप से आमेलन का विकल्प दिया है।

(4) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा में अन्तिम आमेलन के लिए अस्थायी रूप से आमेलित व्यक्ति की उपयुक्तता का परीक्षण विहित रीति से किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाया गया, तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित किया जाएगा।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (क) द्वारा पुर्नसंख्यांकित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (क) द्वारा पुर्नसंख्यांकित।**

[4,5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।**

(5) उस कर्मचारी की सेवा, जो कर्मचारी आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है, या जो अन्तिम रूप से आमेलन हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, निर्धारित होगी, और वह अपने दावे पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के किसी अवकाश, पेंशन, भविष्यनिधि या उपदान, जिसके लिए वह हकदार है, सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में,–

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी था, तो तीन मास के वेतन के;

(ख) यदि वह अस्थायी कर्मचारी था, तो एक मास के वेतन के,

समान धनराशि मुआवजे के रूप में पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'वेतन' के अन्तर्गत महँगाई भत्ता, व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है।

(6) राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के लिए विकास अधिकरण केन्द्रीयकृत सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक विकास प्राधिकरण से अन्य में स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।

6– सलाहकार परिषद

(1) राज्य सरकार, यदि उपयुक्त समझती है, महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से सम्बन्धित अन्य विषयों पर, या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के सम्बन्ध में, जैसे प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी।

(2) सलाहकार परिषद् में धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, [1]{उत्तराखण्ड} एवं मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग, [2]{उत्तराखण्ड} पदेन;

(ग) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवा, [3]{उत्तराखण्ड} या उसका नामनिर्देशिती, जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न न हो, पदेन;

(घ) विकास क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के चार प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा;

(ङ) परिवहन आयुक्त, [4]{उत्तराखण्ड} या उसका नामनिर्देशिती, जो उप–परिवहन आयुक्त की श्रेणी से निम्न न हो, पदेन;

(च) अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, [5]{उत्तराखण्ड} या उसका नामनिर्देशिती, पदेन;

(छ) लोकसभा और राज्य विधान परिषद् के सभी सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है;

(ज) राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद् के सभी सदस्य, जिनका विकास क्षेत्र में अपना आवास हो;

[1,2,3,4 एवं 5] **अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 की अधिसूचना संख्या 1081/श0वि0–आ0/2002–(238)/2002 दिनांक 8.112002 एवं अधिसूचना 504/v/-A–2007–08 (आवास)/2007, दिनांक 12.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।**

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य, जिनमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का, एक उद्योग एवं वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ज) के प्रयोजनों के लिए राज्य सभा या विधान परिषद के सदस्य का निवास स्थान वही माना जाएगा, जो ऐसे सदस्य के रूप में, या उसके निर्वाचन या नामांकन की अधिसूचना में यथास्थिति, वर्णित है।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य परिषद् में अपने निर्वाचन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिये योग्य होगाः

परन्तु यह कि ऐसी अवधि त्यों ही समाप्त हो जाएगी, ज्यों ही सदस्य उस स्थानीय निकाय से, जिससे वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य होने से प्रवरित हो जाता है।

(5) सलाहकार परिषद्, यदि कोई हो, में उपधारा (2) में वर्णित विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, इतने सदस्य शामिल होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए।

(6) सलाहकार परिषद, की बैठक तब होगी, जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेः

परन्तु यह कि ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

7— प्राधिकरण के उद्देश्य

[1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} का उद्देश योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और किवास सुनिश्चित करना होगा और इस प्रयोजन के लिए [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} को भूमि और अन्य संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, प्रबन्ध और व्ययन करने, भवन निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य कार्य करने, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य सम्पन्न करने, मल निकास का निस्तारण करने एवं अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा बनाए रखने और साधरणतः ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज करने की शक्ति होगीः

परन्तु यह कि जैसे अधिनियम में उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थान्वयन् [3]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के प्राधिकार द्वारा अवमान को प्राधिकृत करने हेतु नहीं किया जाएगा।

[4]{7—क. राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य —

राज्य विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी —

(एक) राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/ अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता का आंकलन कर इस हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति करना;

(दो) राज्यान्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

[1,2,3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 7 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 7 (2) द्वारा अन्तःस्थापित।

(तीन) पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देना;

(चार) राज्य के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करना;

(पाँच) विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय विकास प्राधिकरणों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(छः) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा/मानक के अनुसार अधिसूचित/विकास क्षेत्रान्तर्गत बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना तथा इनके सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यवेक्षण/प्रवर्तन कार्य कराना;

(सात) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय लाभदायक बृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की परिकल्पना तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं के निमित्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से वित्त पोषण अथवा अन्य निजी क्षेत्रों से निवेश की व्यवस्था करना तथा परियोजना का क्रियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराना ;

(आठ) आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा उसका उपयोग स्व विकसित अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों/लोक–निजी सहभागिता आधारित योजनाओं के लिए कराना;

(नौ) राज्य के लिए हितकारी बृहद परियोजनाओं को लोक–निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशना, इस हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करना और इस निमित्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करना;

(दस) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए आवासीय एवं अवस्थापना विकास के कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश तैयार कर उनका अनुपालन कराना;

(ग्यारह) कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(बारह) अपने कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करना तथा उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित करना;

(तेरह) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनना;

(चौदह) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जाँय।}

[1]{7–ख– राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण––

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के नाम से पारित किए जायेंगे।

(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, स्थानीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा (उपाध्यक्ष) अथवा धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 7 (2) द्वारा अन्तःस्थापित।

राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित/नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों के क्रम में राज्य प्राधिकरण और किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा दो या दो से अधिक स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय उस विवाद पर अन्तिम होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण किसी समय पर स्वविवेक से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश या किसी निस्तारित मामले के अभिलेख, पारित आदेश अथवा जारी निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे;

परन्तु यह कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई आदेश उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।}

अध्याय 3

महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना

8– विकास क्षेत्र का सिविल सर्वेक्षण और उसके लिए महायोजना

[1]{(1) नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित विकास क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र महायोजना तैयार करेगा।}

(2) महा योजना–

(क) विभिन्न क्षेत्रों को नियत करेगी, जिनमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा और उस ढंग को, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में भूमि प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाना है (चाहे उस पर विकास कार्य करके या अन्यथा) और उन प्रक्रमों को निर्दिष्ट करेगी, जिसके द्वारा कोई ऐसा विकास किया जाएगा, और

(ख) संरचना के मूल प्रतिमान के रूप में कार्य करेगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जा सकेगी।

(3) महायोजना किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सकेगी, जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 8 द्वारा अन्तःस्थापित।**

9— क्षेत्रीय विकास योजना

(1) महायोजना की तैयारी के साथ ही साथ या तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, [1]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसमें विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकेगा, क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी के लिए कार्य करेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास योजना–

(क) में क्षेत्र के विकास के लिए स्थल योजना और प्रयोग–योजना अन्तर्विष्ट हो सकेगी और ऐसी चीजों, जैसे सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक कार्य एवं उपयोगिता, सड़क, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रयोग के अन्य संवर्गों के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की लगभग स्थिति और भूमि प्रयोग की सीमाओं को दर्शित कर सकेगी;

(ख) जनसंख्या घनत्व तथा भवन घनत्व के मापदण्ड को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को दर्शित कर सकेगी, जिसे [2]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} की राय में विकास या पुनर्विकास के लिए घोषित किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी; और

(घ) विशिष्ट रूप से, निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के सम्बन्ध में उपबंध अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात्–

(i) किसी स्थानों का भवन निर्माण हेतु भू–खण्डों में विभाजन;

(ii) सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन या अनुरक्षण;

(iii) किसी क्षेत्र का नगर या बस्ती के रूप में विकास एवं निर्बंधन तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या कार्यान्वित किया जा सकेगा;

(iv) किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन में या के चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के सम्बन्ध में निर्बंधन तथा शर्तें और भवन की ऊँचाई और प्रकृति;

(v) किसी स्थल के भवन का सरेखण

(vi) किसी स्थल पर निर्माण किया जाने वाला किसी भवन के विस्तारण या अगले भाग का वास्तुकलात्मक लक्षण;

(vii) आवासीय भवनों की संख्या, जिनका निर्माण भू–खण्ड पर या किसी स्थान पर किया जा सकेगा;

(viii) किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में या ऐसे स्थल पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, चाहे भवन निर्माण से पूर्व हों या पश्चात् और व्यक्ति या प्राधिकरण, जिसके द्वारा या जिसके व्यय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं;

[1,2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित।**

(ix) दुकानों, कार्यशालाओं, भाण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या बस्ती में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अभिकल्पित भवन में निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिषेध या निर्बंधन;

(x) दीवारों, बाड़ों या झाड़ियों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक सन्निर्माण का रखरखाव एवं ऊँचाई, जिस पर उन्हें कायम रखा जाएगा;

(xi) भवनों के सन्निर्माणों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बंधन;

(xii) कोई अन्य विषय, जो नक्शे के अनुसार अंचल या उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए और ऐसे अंचल या क्षेत्र में भवनों को अव्यवस्थित ढंग से निर्मित किए जाने को निवारित करने के लिए आवश्यक हो।

10— योजना को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना

(1) इस धारा में और धारा 11, 12, 14 एवं 16 में "योजना" शब्द से महायोजना के साथ ही साथ अंचल के लिए आंचलिक विकास योजना अभिप्रेत है।

[1]{(2) प्रत्येक योजना तैयार किए जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण उसे राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो कि अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्धन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने हेतु निर्देश के साथ योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।}

11— योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पहले [2]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} प्रारूप योजना तैयार करेगा और ऐसी तिथि के पूर्व, जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये प्रारूप योजना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए ऐसे प्रारूप और ढंग में, जैसे इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किया जाये, नोटिस के निरीक्षण एवं प्रकाशन के लिए उपलब्ध उसकी प्रति तैयार करके उसे प्रकाशित करेगा।

(2) [3]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर और योजना द्वारा सम्बद्ध भूमि स्थित है, योजना के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 10 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[1]{(3) सभी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किए गए हों, पर विचार करने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित अन्य अभिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुतियों और टिप्पणियों यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।}

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार [2]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकेगा, जैसे वह सरकार इस धारा के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत की गई किसी योजना के अनुमोदन के प्रयोजना के लिए अपेक्षा करे।

12— योजना के प्रारम्भ की तिथि

राज्य सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित किये जाने के तुरन्त पश्चात्, [3]{राज्य प्राधिकरण और सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण} ऐसे ढंग से, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, यह कथन करते हुए कि योजना अनुमोदित की गई है और उस स्थान को नामित करते हुए, जहाँ योजना की प्रतिलिपि का सभी युक्तियुक्त घण्टों पर निरीक्षण किया जा सकेगा, नोटिस प्रकाशित करेगा और पूर्वाक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से योजना प्रवर्तित होगी।

अध्याय 3—क

विकास क्षेत्र में प्रमुख सड़कें

12क— प्रमुख सड़कों से लगे हुए कतिपय भवनों के गृह मुख का रखरखाव एवं सुधार

(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में, कोई भवन, जिसका अधिभोग पूर्णतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासीय एवं अंशतः गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, प्रमुख सड़क से लगा हुआ है, वहाँ ऐसे भवन का अधिभोगी इस निमित्त बनायी गयी किसी उपविधि के अनुसार अपने खर्च पर ऐसे भवन के गृह—मुख की मरम्त, सफेदी, रंगाई करने हेतु बाध्य होगा।

(2) जहाँ प्राधिकरण, किसी रंग योजना इस निमित्त निर्मित अन्य विनिर्देश के साथ समानता को सुनिश्चित करने की नियम से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है अथवा जहाँ कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के गृह मुख की मरम्मत, सफेदी या रंगाई करने में विफल रहता है, वहाँ वह आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निर्देश के अधीन किया जाए और तद्नुसार अधिभोगी से ऐसे कार्य का खर्च प्राधिकरण को भुगतान करने की अपेक्षा भी कर सकेगा।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित।**

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के व्यय का परिकलन "लाभ–निरपेक्ष, हानि निरपेक्ष" को आधार पर किया जाएगा और जमा करने के लिए अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में किसी विवाद के मामले में, इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इसके अधीन रहते हुए प्राधिकरण का आदेश अन्तिम होगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के व्यय के सम्पूर्ण या भाग का अधिभोगी द्वारा भुगतान न किए जाने की दशा में, उपाध्यक्ष के प्रमाणपत्र पर, अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में–

(क) "प्रमुख सड़क" पद का वही अर्थ होगा, जो उसे उपविधि में दिया गया है,

(ख) भवन के सन्दर्भ, में पद "अधिभोगी" से भवन का वास्तविक अधिभोगी या उपभोगकर्ता अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(i) अधिभोगी स्वामी (जिस पद में अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक, परिबद्धकर्ता या प्रबन्धक या भवन के कब्जे के साथ बंधकदार शामिल होगा;

(ii) "किरायेदार" जो तत्समय स्वामी को उसके किराए का संदाय कर रहा है या संदाय करने के लिए दायी है;

(iii) किराया मुक्त प्रत्याभूति या उसका अनुज्ञप्तिधारी;

(iv) वह व्यक्ति, जो उसके अनधिकृत प्रयोग या उसके अभिभोग के लिए स्वामी को क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए दायी है।

अधयाय 4

महायोजना एवं आंचलिक विकास योजना को संशोधन

13– योजना का संशोधन

(1) [1]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} महायोजना या आंचलिक विकास योजना में कोई संशोधन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, जो संशोधन उसकी राय में, योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन न होने दे और जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदण्ड से सम्बद्ध न हो।

(2) राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना में संशोधन कर सकेगी चाहे ऐसी योजना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो या अन्यथा।

(3) यथास्थिति [2]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} या राज्य सरकार योजना में कोई संशोधन करने के पूर्व उस विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार पत्र में ऐसी तिथि से पूर्व, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना

[1,2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 13(1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेपों एवं सुझावों पर, जो [1]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गयी हो, विचार करेगी।

(4) इस धारा के अधीन किया गया संशोधन ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा, जैसे यथास्थिति, [2]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} या राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन की तिथि पर या ऐसी अन्य तिथि पर, जैसे, यथास्थिति, [3]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} या राज्य सरकार नियत करे, प्रवृत होंगे।

(5) जब उपधारा (1) के अधीन [4]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} योजना में कोई संशोधन करता है, तब वह [5]{राज्य प्राधिकरण} को उस तिथि से, जब ऐसा संशोधन प्रवृत्त हुआ, तीस दिन के भीतर ऐसे संशोधनों की पूर्ण विशिष्टियों की रिपोर्ट देगा।

(6) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या [6]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त / नामित कोई अन्य अभिकरण} द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं, जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं या क्या वे भूमि प्रयोग की सीमा अथवा जनसंख्या घनत्व के मापदण्ड से सम्बन्धित हैं, तो इसे राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(7) अध्याय 3 के सिवाय, किसी अन्य अध्याय में, महायोजना या आंचलिक विकास के किसी निर्देश का अर्थान्वयन् महायोजना अथवा आंचलिक विकास योजना का इस धारा के अधीन यथासंशोधित सन्दर्भ के रूप में किया जाएगा।

अधयय 5—

भूमि का विकास

14— विकास क्षेत्र में भूमि का विकास

(1) धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति या निकाय (सरकारी विभाग को शामिल करते हुए) द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या चालू नहीं रखा जाएगा, जब तक ऐसे विकास के लिए अनुमति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार [7]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष / इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति / अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} से लिखित रूप में प्राप्त न की गई हो।

[1,2,3,4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 13(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 13(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 13(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी विकास क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नहीं किया जाएगा या चालू नहीं रखा जाएगा, जब तक ऐसा विकास उस योजना के अनुसार न हो।

(3) उपधारा (1) या (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, निम्नलिखित उपबंध किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा भूमि विकास के सम्बन्ध में लागू होंगे–

(क) जब कोई ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकरण भूमि का कोई विकास करने का आशय रखता है, तब वह ऐसा विकास करने के कम से कम 30 दिन पूर्व उसकी पूर्ण विशिष्टियों को, जिसमें कोई योजना या दस्तावेज शामिल हो, देते हुए ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को देगा।

(ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभाग के मामले में, यदि [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को कोई आक्षेप नहीं है तो उसे ऐसे विभाग को खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा विभाग के आशय की प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर उसकी सूचना देनी चाहिए एवं यदि [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} उक्त अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं करता है, तो विभाग प्रस्तावित विकास कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ग) जहाँ [4]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} प्रस्तावित विकास के बारे में इस आधार पर कोई आपत्ति करता है कि विकास [5]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण} द्वारा तैयार किये

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[4] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(3) द्वारा प्रतिस्थापित।**

गये या तैयार किये जाने के लिए आशयित किसी महायोजना या आंचलिक विकास योजना के अनुरूप नहीं है या किसी अन्य आधार पर आक्षेप करता है, वहाँ, यथास्थिति, [1]{नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/ नामित कोई अन्य अभिकरण} या स्थानीय प्राधिकरण–

(i) या तो [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा उठाए गए आक्षेप को निवारित करने के लिए विकास के प्रस्ताव में आवश्यक उपान्तरण करेगा; या

(ii) [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा उठाए गए आक्षेप के साथ विकास का प्रस्ताव खण्ड (घ) के अधीन विनिश्चय के लिए राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा।

(घ) राज्य सरकार [4]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के आक्षेपों के साथ विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर या तो उपान्तरण सहित या रहित प्रस्ताव को या तो अनुमोदित कर सकेगी या तो, यथास्थिति, विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण को ऐसा अन्तरण करने का निर्देश दे सकेगी, जैसे सरकार द्वारा प्रस्तावित हो और राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(ङ) किसी ऐसे विभाग द्वारा या धारा 59 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के पूर्व प्रारम्भ किया गया किसी भूमि का विकास उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ पूरा किया जा सकेगा।

15– अनुमति के लिए आवेदन

(1) धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति या निकाय (सरकार के किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न) [5]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(3) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[4] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के समक्ष विकास के सम्बन्ध में,जिससे आवेदन सम्बन्धित है, ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए लिखित रूप में आवेदन करेगा, जैसे उपविधि द्वारा विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे शुल्क के साथ होगा, जो नियमावली द्वारा विहित किया जाए।

(2क) प्राधिकरण विकास शुल्क, नामान्तरण प्रभार, ढेर लगाने का शुल्क एवं जल शुल्क ऐसी रीति से और ऐसी दर पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा, जैसे विहित किया जाएः

परन्तु यह कि उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसका विकास प्राधिकरण द्वारा विकास नहीं किया जाना है अथवा नहीं किया गया है उद्गृहीत ढेर लगाने के शुल्क का अंतरण उस स्थानीय प्राधिकरण को किया जाएगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा क्षेत्र स्थित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} [2]{*******} ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा या तो ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये अनुमति मंजूर करेगा या ऐसी अनुमति मंजूर करने से इन्कार करेगाः

परन्तु यह कि ऐसी अनुमति से इनकार करने वाला आदेश देने के पूर्व, आवेदक को कारण दर्शाने करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा कि अनुमति से इन्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिएः

परन्तु यह और कि [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुसंगत नियमावली या विनियमों के अनुसार उसे लाने की नियत से उसमें कोई शुद्धि करने अथवा दस्तावेजों की कोई और विशिष्टयाँ प्रदान करने या अपेक्षित शुल्क की कमी को पूर्ण करने के लिए अवसर देगाः

परन्तु यह भी कि धारा 14 में अन्तर्विष्ट अनुमति प्रदान करने से पूर्व [4]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हा} उपधारा (2क) के अधीन उद्गृहीत की गई शुल्क एवं प्रभार को जमा करा सकेगा।

(4) जहाँ अनुमति इनकार की जाती है, वहाँ ऐसी इनकारी का कारण लेखबद्ध किया जाएगा और आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(4) द्वारा निरसित।

[3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(4) द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी संसूचना से तीस दिनों के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा और अपीलार्थी को और यदि आवश्यक हो, तो [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के प्रतिनिधियों को भी सुनवाई के लिए अवसर देने के पश्चात् या तो अपील को निरस्त करेगा या [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को उस अनुमति को जिसके लिए आवेदन किया गया है, ऐसे उपान्तरणों के साथ या ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए मंजूर करने का निर्देश दे सकेगा, जैसे विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} इस धारा के अधीन अनुमति के लिए आवेदनों की पंजी ऐसे प्रारूप में, जैसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए, रखेगा।

(7) उक्त पंजी में ऐसी विशिष्टियाँ, जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अन्तर्विष्ट होंगी, जिसमें उस रीति के बारे में, जिसमें अनुमति के आवेदनों का वर्णन किया गया है, सूचना शामिल होगी और पाँच रुपये से अनधिक शुल्क, जैसे, विनियमों द्वारा विहित किया जाए, भुगतान पर सभी युक्तियुक्त समयों पर जनसामान्य के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

(8) जहाँ इस धारा के अधीन अनुमति इंकार की जाती है, वहाँ आवेदक या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अनुमति हेतु आवेदन पर भुगतान की गयी शुल्क को वापस पाने का हकदार नहीं होगा किन्तु [4]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} उपधारा (4) के अधीन इन्कारी के आधारों की सूचना के तीन मास के भीतर की गई वापसी के आवेदन पर, शुल्क के ऐसे भाग की वापसी का निर्देश दे सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

(9) यदि उपधारा (3) के अधीन अनुमति मंजूर किए जाने के पश्चात् किसी समय, [5]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(5) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(5) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(5) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[4] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(5) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 15(5) द्वारा प्रतिस्थापित।**

सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुमति किसी किए गए तात्विक दुर्व्यपदेशन अथवा किसी कपटपूर्ण कथन या दी गयी संसूचना के परिणामस्वरूप मंजूर की गई थी, तो ऐसी अनुमति रद्द कर सकेगा, जिसके लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और उसके अधीन किया गया कोई कार्य ऐसी अनुमति के बिना किया गया समझा जाएगाः

परन्तु यह कि अनुमति सम्बद्ध व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

15क— पूर्णता प्रमाणपत्र

(1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय, जिसको धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति दी गई है, अनुमोदित योजना के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करेगा और ऐसी पूर्णता की लिखित सूचना [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को भेजेगा और [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} से ऐसी रीति में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, जैसे [3]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} की उपविधि में विहित या उपबंधित होः

परन्तु यह कि यदि पूर्णता प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया जाता है और उसे मंजूर करने से इन्कार करने की सूचना पूर्णता की सूचना की प्राप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर नहीं दी जाती है, तो यह माना जाऐगा कि [4]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(2) कोई व्यक्ति किसी कार्य द्वारा प्रभावित होकर किसी वाणिज्यिक भवन को प्राप्त नहीं करेगा या उसे अधिभोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा अथवा ऐसे भवन या उसके किसी भाग का प्रयोग नहीं करायेगा अथवा प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक कि—

(क) [5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, या

(ख) [6]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} पूर्णता की सूचना पाने के पश्चात् तीन माह तक उक्त प्रमाण पत्र की मंजूरी की इसकी इंकारी की सूचना देने में असफल नहीं रहा है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "वाणिज्यिक भवन" का वही अर्थ होगा, जो उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में दिया गया है।

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

16— योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग

अंचल में योजनाओं में से किसी के प्रवृत होने के पश्चात् कोई व्यक्ति ऐसी योजना के अनुरूप से अन्यथा उस अंचल में किसी भूमि या भवन का प्रयोग नहीं करेगा या उसे प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगीः

परन्तु यह कि ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर, जैसे कि इस निमित्त उपविधि द्वारा विहित किया जाए, किसी भूमि या भवन का उस प्रयोजन के लिये और उस सीमा तक प्रयोग करना जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिसके लिए और जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तिथि पर किया जा रहा है, जिस पर ऐसी योजना प्रवृत्त होती है।

अध्याय 6

भूमि का अर्जन और व्ययन

17— भूमि का अनिवार्य अर्जन

(1) यदि राज्य सरकार की राय में, किसी भूमि की अपेक्षा इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन हेतु की जाती है, तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगीः

परन्तु कोई व्यक्ति, जिससे ऐसी भूमि अर्जित की गयी है, ऐसे अर्जन की तिथि से 5 वर्ष के अवसान पर राज्य सरकार के समक्ष इस आधार पर उसे उसके प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा कि भूमि का उपयोग उस अवधि के भीतर उस प्रयोजन हेतु नहीं किया गया था, जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था और यदि राज्य सरकार को इस प्रभाव का समाधान हो जाता है, तो वह 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित एवं ऐसे विकास प्रभार, यदि कोई, जो अर्जन के बाद उपगत किया गया है, पुनर्भुगतान पर उसको भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी।

(2) जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई है, वहाँ वह राज्य सरकार भूमि का कब्जा लेने के बाद भूमि को [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} या किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर के एवं अर्जन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपगत प्रभार के पुनर्संदाय पर भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी।

[3]{17—क. राज्य प्राधिकरण का भू—बैंक

राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू—बैंक सृजित करने की शक्ति होगी :——

(क) भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार; अथवा

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि; अथवा

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 17(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं गाम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 17(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 17(2) द्वारा अन्तःस्थापित।

(ग) विकास प्राधिकरणों के सन्दर्भ में भूमि अर्जन/संकलन नीति; अथवा

(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से भूमि क्रय करके।}

[1]{**17—ख. राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण :—**

(1) राज्य प्राधिकरण —

(क) समाज के कमजोर वर्गों को वहन करने योग्य आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने भू—बैंक से किसी भूमि को किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण/व्यक्ति, निजी अथवा लोक को अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित कोई भूमि उस पर कोई विकास किए बिना अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;

(ग) कोई ऐसी भूमि ऐसे विकास के बाद जैसा वह ठीक समझे, किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा योजना अनुसार विकास को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझा जाय, अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य प्राधिकरण उपहार के रूप में किसी भूमि का निस्तारण कर सकती है, किन्तु विषय के अध्यधीन इस अधिनियम में सन्दर्भित भूमि का निस्तारण किसी सन्दर्भ में किसी रीति से कोई निस्तारण चाहे वह विक्रय, विनिमय अथवा पट्टे अथवा किसी सुखाचार, अधिकार के सृजन द्वारा अथवा विशेषाधिकार अथवा अन्यथा हो, कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण ऐसी भूमि (उसके किसी भवन सहित) को बन्धक अथवा अधिभार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास और नगर विकास निगम अथवा कोई बैंकिंग कम्पनी अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में रख सकेगी।}

18— सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का व्ययन

(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किये गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण—

(क) किसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई हो एवं उसे अन्तरित की गई हो, उस पर कोई विकास कार्य किए बिना या कार्यान्वित किए बिना, अथवा

(ख) किसी ऐसी भूमि पर का विकास, जैसे वह ठीक समझे करने या कार्यान्वित करने के पश्चात्,

व्ययन ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा, जो वह योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने हेतु समीचीन समझे।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का अर्थान्वयन सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को दान, द्वारा भूमि का व्ययन करने के लिए समर्थ बनाने के रूप में नहीं किया जाएगा किन्तु इसके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम में भूमि के व्ययन के सन्दर्भ का अर्थान्वयन किसी रीति में इसके व्ययन के सन्दर्भ के रूप में, चाहे विक्रय, विनियम या पट्टे द्वारा हो या किसी सुखाधिकार, अधिकार, विशेषाधिकार के सृजन द्वारा हो, या अन्यथा नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास एवं नगरीय विकास निगम या बैंककार कम्पनी, जैसे उत्तर प्रदेश लोकधन

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 17(2) द्वारा अन्तःस्थापित।**

(शोध्यों की वसूली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है या किसी अन्य वित्तीय संस्थान, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा अनुमोदित है, के पक्ष में ऐसी भूमि (उस पर निर्मित भवन सहित) पर बंधक या प्रभार का सृजन करेगा।

(4) जहाँ इस धारा के अधीन खाली भूमि का व्ययन अनुबंधित समय के भीतर निर्माण हेतु ऐसे समय के भीतर निर्माण करने में असफल रहने पर पट्टे के समपहरण और पुनः प्रवेश के अधिकार के अध्यधीन पट्टे के द्वारा किया गया है और पट्टेदार अनुबन्धित समय या बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसे पट्टाकर्ता मंजूर करे, निर्माण या उसके सारभूत भाग का निर्माण करने में पर्याप्त कारण के बिना असमर्थ रहता है, वहाँ पट्टाकर्ता उपधारा (4क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पट्टे का समपहरण कर सकेगा और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगाः

परन्तु यह कि जब तक पट्टेदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है, कोई समपहरण या पुर्नप्रवेश नहीं होगा।

(4क) जहाँ पट्टेदार उपधारा (4) के अधीन अनुबन्धित समय एवं विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है, जिससे पट्टे की तिथि से कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य 2% की दर से प्रभार की वसूली पट्टाकर्ता द्वारा उससे प्रत्येक वर्ष की जायेगी और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पुनः व्यपगत हो जाती है, तो पट्टे का समपहरण हो जाएगा और पट्टाकर्ता भूमि पर पुनः प्रवेश करेगाः

परन्तु यह कि जहाँ पाँच वर्ष की अवधि का अवसान उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ पर हुआ है या जहाँ पाँच वर्ष की अवधि का अवसान ऐसे आरम्भ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर होता है, वहाँ प्रभार ऐसे प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् वसूल किया जा सकेगा।

(5) ऐसे समपहरण एवं पुनः प्रवेश पर, ऐसी भूमि पट्टेदार द्वारा संदत्त प्रीमियम को ब्याज के बिना—

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता को शोध्य धनराशि, यदि कोई हो, और

(ख) प्रशासनिक खर्च के लिए प्रीमियम के 5 प्रतिशत के बराबर की कटौती करने के पश्चात् वापस किया जाएगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसकी जानकारी होने से तीस दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(7) पट्टे के समपहरण के पश्चात् भूमि का, जिस पर इस प्रकार पुनः प्रवेश किया गया है, व्ययन उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

19— नजूल भूमि

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजनों के लिए राज्य में निहित विकास क्षेत्र में सभी या किसी विकसित या अविकसित भूमि (जो "नजूल भूमि" के रूप में ज्ञात है और एतस्मिनपश्चात् निर्दिष्ट है) प्राधिकरण के व्ययन पर रख सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी नजूल भूमि को प्राधिकरण के व्ययन पर रखने के पश्चात् किसी भूमि का कोई विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किया जाएगा अथवा कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा या के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसी नजूल भूमि का विकास किए जाने के पश्चात् उसको प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के व्ययन पर किसी नजूल भूमि की अपेक्षा इसके पश्चात् किसी समय राज्य सरकार द्वारा की जाती है, प्राधिकरण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उसे ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जैसे सरकार एवं प्राधिकरण के बीच सहमति हो, सरकार के व्ययन पर रखेगा।

अध्याय 7

विलेख, लेखा एवं लेखा संपरीक्षा

20— प्राधिकरण का कोष

(1) [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} का स्वयं अपना कोष होगा एवं वह इसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) समस्त धन, जो [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम धन के रूप में या अन्यथा प्राप्त किया जाए।

(ख) समस्त धन, जो [3]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा ऋणों या ऋणपत्रों द्वारा राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से उधार लिया गया हो;

(ग) समस्त शुल्क, पथकर एवं प्रभार, जो इस अधिनियम के अधीन [4]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा प्राप्त किया गया हो;

(घ) समस्त धन, जो [5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों, चाहे जंगम हों या स्थावर, के व्ययन द्वारा प्राप्त किया गया हो; एवं

(ङ) समस्त धन, जो [6]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा किराया अथवा लाभ या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो;

(2) इस अधिनियम के प्रशासन में कोष का उपयोग [7]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} द्वारा उपगत खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं;

(3) राज्य सरकार के किसी निर्देश के अधीन रहते हुए [8]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता में अपने कोष से ऐसी रकम रख सकेगा, जैसे वह प्रत्याशित वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक समझे एवं किसी अधिशेष रकम को ऐसे ढंग से विनियोजित करेगा, जैसे वह उपयुक्त समझे।

(4) राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् [9]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} को ऐसा अनुदान, अग्रिम एवं ऋण प्रदान कर सकेगी, जैसे वह सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत के कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझे तथा दिये गये समस्त अनुदान, ऋण एवं अग्रिम ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर होंगे, जैसे राज्य सरकार निर्धारित करे।

(5) [10]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से भिन्न) से एवं ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये, ऋणों या ऋणपत्रों द्वारा उधार ले सकेगा।

(6) [11]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} उपधारा (5) के अधीन उधार लिए गए धनों के पुनर्संदाय करने के लिये निक्षेप निधि रखेगा और प्रतिवर्ष निक्षेप निधि में ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो इस प्रकार उधार लिए गए समस्त धनों का नियम समय के भीतर पुनर्संदाय करने के लिए पर्याप्त हो।

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 18(1) द्वारा अन्तःस्थापित।**

(7) इस निक्षेप निधि या उसके किसी भाग का उपयोग उस ऋण की निर्मुक्ति में किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी निधि का सृजन किया गया था और जब तक ऐसे ऋण का पूर्णतः उन्मोचन नहीं हो जाता है, तब तक उसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

[1]{(8) स्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी कुल आय का राज्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंश राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।}

[2]{(9) राज्य प्राधिकरण उपर्युक्त उपधारा (8) के अधीन संग्रहीत निधि में से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटन योग्य धनराशि का निर्धारण करेगा और उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य आवंटित करेगा।}

[3]{20–क. राज्य प्राधिकरण की निधियाँ ––

(1) राज्य प्राधिकरण स्थानीय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त निधि के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा उसे आवंटित निधि से स्वयं की एक निधि संरक्षित करेगा।

(2) निधि का उपयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय अथवा इसके द्वारा सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित किन्हीं अन्य प्रयोजनों/कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण को स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा को अवधारित करने और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों/नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी वित्तीय सुदृढ़ता हेतु आबंटित करने की शक्ति होगी।

(4) राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण ऐसी धनराशियों के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अपने संभावित चालू अपेक्षाओं की पूर्ति और किसी अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए, ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता रखेगा।

(5) राज्य सरकार सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसे अनुदानों, अग्रिमों और ऋणों को राज्य प्राधिकरण को देगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदानों, ऋणों और अग्रिमों को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर देगी, जैसा वह अवधारित करे।

(6) राज्य प्राधिकरण ऋण अथवा ऋण पत्रों अथवा ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से इतर) से ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण ले सकेगी।

(7) राज्य प्राधिकरण उपधारा (5) एवं (6) के अधीन ऋण ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि को संरक्षित करेगी और इस प्रकार ऋण ली गई सभी धनराशियों की नियत अवधि के अन्दर वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि निक्षेप निधि में जमा करेगी।

(8) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऋण भुगतान, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, के निमित्त ही व्यय की जायेगी और जब तक कि ऐसे ऋणों का पूर्णतः निक्षेपण नहीं कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की जायेगी।}

[1,2] दोनों उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 18(2) द्वारा अन्तःस्थापित।

[3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 19 द्वारा अन्तःस्थापित।

21— प्राधिकरण का बजट

[1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण} की आकलित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत बजट तैयार करेगा।

[3]{**21—क. राज्य प्राधिकरण का आय—व्ययक**

राज्य प्राधिकरण ऐसा तथा ऐसे समय पर प्रत्येक वर्ष जैसा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में किसी आय—व्ययक के लिए विनिर्दिष्ट करे, आय—व्ययक जिसमें राज्य प्राधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आंकलित प्राप्तियाँ और व्ययों का विवरण हो, तैयार करेगा।}

22— लेखा एवं लेखा संपरीक्षा

(1) [4]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} समुचित लेखा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख बनायेगा और तुलन—पत्र सहित लेखा का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) [5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} का लेखा, लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा वार्षिक रूप से लेखा संपरीक्षा के अधीन होगा :

परन्तु यह कि परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा के स्थान पर या अतिरिक्त राज्य सरकार लेखा संपरीक्षा को महालेखाकार, [6]{उत्तराखण्ड} या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समयों पर, जैसे उसके और राज्य सरकार के बीच सहमति हो, न्यस्त कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकार एवं विशेषाधिकार—

(i) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में वही होंगे, जैसे स्थानीय प्राधिकरण के लेखा संपरीक्षा के सम्बन्ध में हैं;

(ii) यथास्थिति, महालेखाकार, [7]{उत्तराखण्ड} या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसे सरकारी लेखाओं की लेखा संपरीक्षा के सम्बन्ध में है, और

(iii) किसी अन्य लेखा संपरीक्षक के मामले में ऐसा होगा, जैसे विहित किया जाए,

और उसे विशेष रूप से बहियों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों, कागजातों एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की माँग करने और [8]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

[1 एवं 2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 20 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 21 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[4 एवं 5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 22 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[6 एवं 7] **अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 की अधिसूचना संख्या 1081/श0वि0—आ0/2002—(238) /2002 दिनांक 8.112002 एवं अधिसूचना 504/V/-A—2007—08 (आवास)/2007, दिनांक 12.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[8] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 22 द्वारा अन्तःस्थापित।**

(4) [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} का लेखा, जैसे लेखा सम्परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो, उस पर लेखा संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से एवं ऐसे समयों पर, जैसे उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार [2]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे वह उपयुक्त समझे और [3]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(5) लेखा संपरीक्षा के सम्बन्ध में लेखा संपरीक्षक द्वारा उपगत व्यय [4]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा लेखा संपरीक्षक को संदेय होगा।

23— वार्षिक रिपोर्ट

[5]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि को या के पहले प्रस्तुत करेगा, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और ऐसी रिपोर्ट विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

24— पेंशन और भविष्य निधि

(1) [6]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} अपने पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों और अपने अधिकारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति एवं ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसी पेंशन या भविष्यनिधि का गठन करेगी, जैसे वह उचित समझे।

(2) जहाँ कोई ऐसी पेंशन या भविष्यनिधि गठित की गई है, वहाँ राज्य सरकार घोषणा कर सकेगी कि ऐसी निधि को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे, जैसे कि वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय 8

अनुपूरक एवं प्रकीर्ण उपबन्ध

25— प्रवेश की शक्ति

प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में या पर—

(क) ऐसी भूमि या भवन की जाँच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या स्तर लेने;

(ख) निर्माण के अधीन कार्य की परीक्षा करने एवं मलनिकास तथा जल निकास के मार्ग को सुनिश्चित करने;

[1, 2,3,4] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 22 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 23 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[6] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 24 द्वारा अन्तःस्थापित।**

(ग) खुदाई करने या उपभूमि में छेदन करने;

(घ) सीमाओं के कार्य की आशयित रेखा निर्दिष्ट करने;

(ङ) चिह्न लगा कर एवं खाईं काटकर ऐसे स्तरों, सीमाओं एवं रेखाओं को अंकित करने;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भूमि का महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन ऐसी अनुमति प्रदान की गई है, विकास किया जा रहा है;

(छ) इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने;

के प्रयोजन के लिए सहायकों या कर्मकारों की सहायता से या के बिना प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगाः

परन्तु यह किः

(i) कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच के सिवाय और अधिभोगी को या यदि ऐसा कोई अधिभोगी न हो, तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जाएगा;

(ii) ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को निकलने के लिए समर्थन बनाने हेतु प्रत्येक बार पर्याप्त समय दिया जाएगा;

(iii) प्रवेश की गयी भूमि या भवन के अधिभोगियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा, जहाँ तक वह उस प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के लिए संगत हो, जिसके लिए ऐसा प्रवेश किया जाता है।

26— शास्ति

(1) कोई व्यक्ति, जो चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी निकाय (सरकारी विभाग सहित) के अनुरोध पर, किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन अथवा मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, करता है या कार्यान्वित करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित होने पर की गई दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, दो हजार पाँच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के उपबन्धों के उल्लंघन में या इस धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित किसी निबन्धनों या शर्तों के उल्लंघन में करता है, वह जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक, हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में, पुनः जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित करने के लिए दोषसिद्धि के बाद चालू रहता है एक हजार दो सौ पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

26क— सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवरोध

(1) जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो व्यक्तिगत सम्पति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से सम्बन्धित हो या न हो या उसमें

निहित हो या न हो, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो 20 हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय अपराध होगा।

(3) जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढेर लगाने की शुल्क के भुगतान पर ऐसी अवधि के दौरान, जैसे अनुमति दी गयी हो, भवन सामग्री रखने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि प्राधिकरण की हो या न हो अथवा प्राधिकरण में निहित हो या न हो, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक मास तक हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि यह विश्वाास करने के आधार हों कि किसी व्यक्ति ने उस विकास क्षेत्र में, जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, कोई अतिक्रमण या व्यवधान उत्पन्न किया है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अतिक्रमण या अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा कि उसमें 15 दिनों से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, अतिक्रमण या अवरोध हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाये और ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शाये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् लेखबद्ध कारणों से ऐसा अतिक्रमण या अवरोध हटाने का आदेश दे सकेगाः

परन्तु यह कि उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तिथि को या पूर्व कमजोर वर्ग से सम्बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे ऐसी रीति, और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जो विहित की जाये, पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद–

(1) ″कमजोर वर्ग से सम्बद्ध व्यक्ति″ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है–

(क) जिसका परिवार उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तिथि पर किसी नगर में, जैसे उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में परिभाषित किया गया है अथवा किसी नगर पालिका क्षेत्र में, जैसे उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 में परिभाषित किया गया है, स्थावर सम्पति धारण नहीं करता है; और

(ख) जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत या तो स्वयं द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक श्रम से है, जिसमें कोई शिल्पकला की प्रथा भी है और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकर्मी भी शामिल हैं, किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर, उ0प्र0 व्यापार अधिनियम, 1948 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन विक्रय कर के लिए अभिनिर्धारण किया गया है।

(2) कमजोर वर्ग के व्यक्ति के सम्बन्ध में परिवार से यथास्थिति, पति या पत्नी एवं अविवाहित अवयस्क बच्चे या वे दोनों अभिप्रेत हैं।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उस कार्यवाही, जैसे इस धारा में उपबंधित है, के अतिरिक्त इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गई किसी सम्पत्ति या, यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से संलग्न सम्पत्ति को अधिगृहीत या कुर्क करने की शक्ति होगी।

(6) जहाँ कोई सम्पति प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहाँ वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा।

(7) प्राधिकरण सम्पहरण की कार्यवाही के निष्कर्ष के लम्बित रहने के दौरान अभिगृहीत या कुर्क की गई सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे, और यदि सम्पत्ति शीघ्र या स्वाभाविक रूप से क्षय के अधीन है या ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो प्राधिकरण विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने का आदेश दे सकेगा।

(8) जहाँ किसी सम्पत्ति का विक्रय उक्त रूप में किया जाता है, वहाँ विक्रय आगाम का ऐसे विक्रय के खर्च, यदि कोई हो, और उससे सम्बन्धित अन्य अनुषंगिक खर्च की कटौती करने के पश्चात्–

(क) जहाँ समपहरण का आदेश अंततः प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है, या

(ख) जहाँ अपील में पारित किया गया आदेश ऐसी अपेक्षा करता है,

का भुगतान उसके स्वामी या व्यक्ति को, जिससे उसे अभिगृहीत या कुर्क किया जाता है, किया जाएगा।

(9) जहाँ किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की उपधारा (5) के अधीन की जाती है, वहाँ प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के समपहरण का आदेश देगा।

(10) किसी सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश उपधारा (9) के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या व्यक्ति को, जिससे उसे अभिगृहीत या कुर्क किया गया है–

(क) लिखित में उन आधारों की, जिन पर सम्पत्ति का समपहरण करने की प्रस्थापना की जाती है, सूचना देते हुए नोटिस;

(ख) समपहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय, जैसे सूचना में विनिर्दिष्ट की जाये के भीतर प्रत्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर;

नहीं प्रदान किया जाता है।

(11) इस धारा के अधीन समपहरण का कोई आदेश, किसी दण्ड को, जिसके लिए तद्द्वारा प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा, देने से निवारित नहीं करेगा।

(12) उपधारा (9) के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से एक माह के भीतर, उसके विरुद्ध, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा।

(13) ऐसी अपील पर, जिला न्यायाधीश अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह ठीक समझे और अपील लम्बित रहने के दौरान ऐसे आदेश के प्रवर्तन को ऐसे निबंधनों पर, यदि कोई हो, स्थगित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे।

26ख– धारा 26 क के अधीन हटाने के लिए प्रतिकर हेतु दावा

(1) धारा 26क की उपधारा (4) के अधीन अवरोध या अतिक्रमण हटाए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे हटाए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, या तो प्राधिकरण या तो हटाने का आदेश देने वाले अधिकारी के या दोनों के विरुद्ध प्रतिकर या प्रत्यास्थापन, या दोनों के लिए और ऐसे अधिकारी को इस प्रकार हटाए जाने के कारण कारित हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनाने के लिए दावा कर सकेगा।

(2) उस क्षेत्र पर, जहाँ से अवरोध या अतिक्रमण हटाया गया है, जैसे धारा 26क की उपधारा (4) में उपबंधित है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिकरण होगा।

(3) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी स्थावर सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री होना माना जाएगा और इस प्रकार निष्पादन योग्य होगाः

परन्तु यह कि यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से प्रतिकर अधिनिर्णीत करता हे, तो प्राधिकरण का सम्बद्ध अधिकारी के वेतन या अन्य शोध्यों से धनराशि वसूलना और उसे दावेदार को संदत्त करना कर्तव्य होगा।

(4) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

(5) अधिकरण को इस धारा के अधीन दावे को विनिश्चित करने के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसे वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालयों में निहित होती है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ग) किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके स्थानीय क्षेत्र का निरीक्षण करना, साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) दस्तावेजों को खोजने एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ङ) विधिपूर्ण करार, समझौता या समाधान को अभिलिखित करना तथा उसके अनुसार आदेश देना; एवं

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाये।

(6) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

26ग– प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निक्षिप्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटा सकेगा

प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नोटिस के बिना–

(क) किसी दीवार, बाड़, घेरा, स्तंभ, सीढ़ी, छप्पर या अन्य संरचना को, चाहे स्थिर हो या चलायमान और चाहे स्थायी प्रकृति का हो या अस्थायी या कोई संलग्नक, जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी सड़क के या पर या ऊपर किसी सूखी जलसरणी, जल निकास, कुआँ या तालाब पर निर्माण किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा,

(ख) किसी दुकान, कुर्सी, बेंच, सीढ़ी, गट्ठर, तख्ता या आलमारी या किसी अन्य वस्तु को, जो इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान में रखा गया हो या पर निक्षिप्त किया गया हो या किसी स्थान से निकला हुआ हो या से संलग्न किया गया हो या लटकाया गया हो;

हटवा सकेगा।

26घ– अतिक्रमण निवारित न करने के लिए शास्ति

जो कोई, जिसको विशेष रूप से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली अथवा उपविधि के अधीन अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य न्यस्त किया गया हो, ऐसे अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने की स्वेच्छया जान बूझकर उपेक्षा करता है अथवा जानबूझकर लोप करता है, वह ऐसी अवधि, जो एक माह तक हो सकेगी, के साधारण कारावास से या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

27— भवन घ्वस्त करने का आदेश

(1) जहाँ विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं शर्तों के, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति या अनुमोदन अथवा मंजूरी प्रदान की गई है, उल्लंघन में प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया गया है, वहाँ धारा 26 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का अधिकारी यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि ऐसा विकास कार्य उसके स्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अनुरोध पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया गया है, उस तिथि से, जिसको हटाने के आदेश की प्रतिलिपि, उसके लिए कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ स्वामी या उस व्यक्ति को, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रदान की गई हो, ऐसी अवधि के भीतर, जो पन्द्रह दिनों से कम और चालीस दिनों से अधिक न हो स्वामी या व्यक्ति से ध्वस्तीकरण या गिराकर या अन्यथा द्वारा हटाया जाएगा और आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या ऐसा अधिकारी विकास को हटा या हटवा सकेगा और ऐसे हटाने का व्यय, जैसे [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाये, स्वामी या उस व्यक्ति से, जिसके अनुरोध पर विकास प्रारम्भ किया गया था या किया जा रहा था अथवा पूर्ण किया गया था, भू—राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा और ऐसे खर्च की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद फाइल नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा, जब तक स्वामी या सम्बन्धित व्यक्ति को यह दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उसकी तारीख से 30 दिनों के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील मंजूर कर सकेगा या निरस्त कर सकेगा अथवा आदेश के किसी भाग को उलट सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा।

(3) अध्यक्ष उस आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन उसके समक्ष अपील दाखिल की गई है।

(4) अपील पर अध्यक्ष का निर्णय और ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट भवन को ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके न्यूनीकरण में।

[1,2 एवं 3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 25 द्वारा प्रतिस्थापित।**

28— विकास राकने की शक्ति

(1) जहाँ विकास क्षेत्र में कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी शर्त के, जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है अथवा जारी रखा गया है, वहाँ धारा 26 एवं 27 के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण का [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी आदेश की तामील की तिथि को और से विकास को रोके जाने की अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा और तद्नुसार ऐसे आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(2) जहाँ ऐसे विकास को उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के अनुसार नहीं रोका जाता है, वहाँ प्राधिकरण का [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या उक्त अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे समय के भीतर, जैसे अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाय, उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा विकास प्रारम्भ किया गया है तथा उसके सभी सहायकों और कर्मचारियों को विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी तद्नुसार अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन किए जाने के पश्चात् प्राधिकारण का [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} लिखित आदेश के द्वारा पुलिस अधिकारी अथवा प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास कार्य जारी नहीं है, स्थल की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश के अनुपालन में विफल रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसे आदेश का अनुपालन आदेश तामील होने के बाद जारी रहता है, ऐसे जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षति के लिए, जो उसे धारा 27 के अधीन किसी विकास कार्य को हटाने अथवा इस धारा के अधीन विकास कार्य को रोकने के परिणामस्वरूप हो, कोई प्रतिकर दावा योग्य नहीं होगा।

(6) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी भवन संक्रिया को रोकने से सम्बद्ध किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके न्यूनीकरण में।

[1,2,3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 26 द्वारा प्रतिस्थापित।**

28क– अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति

(1) यथास्थिति, [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिए धारा 27 या 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात् किसी समय इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी रीति से, जो विहित किया जाए, विकास क्षेत्र में ऐसे विकास को सील करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश देना विधिपूर्ण होगा।

(2) जहाँ कोई विकास सील किया गया है, यथास्थिति, [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति [3]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिए गए आदेश के सिवाय ऐसी सील को नहीं हटाएगा।

(4) उपधारा (1) या उपध्यारा (2) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या तो अपील मंजूर कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा।

(5) अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

29– प्राधिकरण को अन्य शाक्तियां प्रदान करना

धारा 12 के अधीन महायोजना या आंचलिक विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् विकास प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष को, यथास्थिति, सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण या उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उस स्थानीय प्राधिकरण को गठित करने वाली अधिनियमिति के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य, ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के अधीन होंगे, जैसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

30– कम्पनियों द्वारा अपराध

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित किए जाने के वक्त कम्पनी के कारोबार संचालन हेतु कम्पनी का भारसाधक के साथ ही साथ कम्पनी अपराध के दोषी माने जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगेः

[1,2,3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013, के संशोधन संख्या 27 द्वारा प्रतिस्थापित।**

परन्तु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि वह अपराध जिसकी जानकारी के बिना किया गया है या यह कि उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् सतर्कता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन कम्पनी द्वारा अपराध कारित किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्पति से या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उनकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण कारित किया हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दण्डित किए जाने के लिये दायी होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कम्पनी" से निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

31– जुर्माने को, जब वसूला जाय, भुगतान प्राधिकरण को किया जाना

सभी जुर्माने, जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के बाबत वसूले जाएं, का संदाय प्राधिकरण को किया जायेगा।

32– अपराधों का प्रशमन

(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध का कार्यवाही को संस्थित करने के पूर्व अथवा पश्चात् [1]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो} (या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी) द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जिनमें प्रशमन के संदाय से सम्बन्धित कोई निबन्धन शामिल है, जैसे [2]{सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो}(या ऐसा अधिकारी) ठीक समझे, प्रशमन किया जा सकेगा।

(2) जहाँ अपराध का प्रशमन किया जाता है, वहाँ अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित किया जाएगा और उसके विरुद्ध प्रशमनित अपधार के बाबत् पुनः कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

33– प्राधिकरण की सुख–सुविधा प्रदान करने या स्वामी के व्यतिक्रम की स्थिति में उसके व्यय पर विकास कार्य करने और कुछ मामलों में उपकर उद्गृहीत करने की शक्ति

(1) यदि प्राधिकारण का स्थानीय जाँच करने के उपरान्त या अपने अधिकारियों में से किसी से रिपोर्ट पर या अपने कब्जे में की अन्य सूचना पर यह समाधान हो जाता है कि विकास क्षेत्र में किसी भूमि की बावत उस भूमि के सम्बन्ध में कोई सुख–सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जिसे प्राधिकरण की राय में प्रदान किया जाना चाहिए या प्रदान किया जाय या भूमि का कोई विकास, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व प्रवृत किसी विधि के अधीन अनुमति,

---

[1] एवं [2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 28 द्वारा प्रतिस्थापित।**

अनुमोदन या मंजूरी प्रदान की गई थी, नहीं किया गया है, तो वह भूमि के स्वामी या ऐसी सुख–सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, आदेश द्वारा, उससे ऐसे समय के भीतर, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, सुख–सुविधा देने या विकास कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुख–सुविधा प्रदान नहीं की जाती है अथवा ऐसा विकास नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण स्वयं सुख–सुविधा प्रदान कर सकेगा अथवा विकास कर सकेगा या ऐसे अभिकरण द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, माध्यम उपलब्ध कराएगा या करवा सकेगाः

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व प्राधिकरण भूमि के स्वामी या सुख–सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को यह कारण दर्शाने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए।

(3) प्राधिकरण या सुख–सुविधा प्रदान करने या विकास करने में उसके नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत समस्त खर्च की वसूली ब्याज सहित, ऐसी दर पर की जाएगी, जैसे राज्य सरकार आदेश द्वारा उस तिथि नियत करे, जब खर्च के लिए माँग की जाती है, जब तक प्राधिकरण द्वारा स्वामी से या सुख–सुविधा प्रदान करने वाले या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाए के रूप में वसूल नहीं कर लिया जाता है और ऐसे खर्च की वसूली हेतु सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया जाएगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण को विकास क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामियों में से इतनों के द्वारा, जो उस भूमि के क्षेत्र के आधे से अन्यून का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिखित प्रत्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि की बाबत कोई सुख–सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जो प्राधिकरण की राय में प्रदान की जानी चाहिए या प्रदान की जाय या यह कि उस भूमि का कोई विकास, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी प्राप्त की गई थी, नहीं किया गया है, वहाँ वह स्वयं सुख–सुविधा प्रदान कर सकेगा या विकास कर सकेगा अथवा ऐसे अभिकरण के द्वारा जिसे वह उचित समझे प्रदान करा सकेगा या विकास कर सकेगा अथवा ऐसे अभिकरण के द्वारा, जिसे वह उचित समझे, प्रदान करा सकेगा या विकास करा सकेगा और उक्त भूमि के सभी स्वामियों से उपकर उद्गृहीत करके व्यय को वसूल सकेगाः

परन्तु यह कि यदि उक्त प्रत्यावेदन करने वाले स्वामी यह तर्क देते हैं कि बस्ती–निर्माणकर्ता या सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा, जिसके माध्यम से या जिससे उनके द्वारा भूमि अर्जित की गई थी, सुख सुविधा प्रदान किये जाने का करार किया गया है अथवा विकास कराये जाने का करार किया गया है, तो वे प्राधिकरण के समक्ष ऐसे करार या अंतरण विलेख अथवा ऐसे करार को समाविष्ट करते हुए समिति की उपविधि की प्रति दाखिल करेंगे और प्राधिकरण द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक, यथास्थिति, बस्ती, निर्माणकर्ता अथवा सोसाइटी को यह कारण दर्शाने की सूचना नहीं दी गई हो कि ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाएः

परन्तु यह और कि जहाँ प्रधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बस्ती, निर्माणकर्ता अथवा सोसाइटी निष्क्रय हो गई है अथवा उसका अता–पता नहीं है, वहाँ अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई सूचना जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(4क) जहाँ प्रधिकरण अपने द्वारा विकसित क्षेत्र में कोई सुख–सुविधा प्रदान करता है, वहाँ प्रधिकरण रख–रखाव करने का उत्तरदायित्व धारा 34 में यथा उपबन्धित रूप में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण किए जाने तक विहित रीति में, भूमि या भवन के स्वामी से ऐसी सुख–सुविधा प्रदान करने को बनाए रखने या जारी रखने के लिए उपगत व्यय को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ऐसा प्रभार, जैसे अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार नियत करे, वसूल करने का हकदार होगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट उपकर कार्य पूर्ण होने की तिथि से भुगतान तक ऐसी दर पर, जैसे राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे, ब्याज सहित सुख–सुविधा प्रदान करने या विकास कार्य करने में प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत खर्च के समान होगा और अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा सभी स्वामियों पर उनके स्वात्विाधीन भूमि के तत्सम्बन्धी क्षेत्र के अनुपात में उद्गृहीत किया जाएगा।

(6) उक्त उपकर उतनी किश्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर एवं ऐसी रीति में सन्देय होगी, जैसे प्राधिकरण नियत करे और उपकर की बकाया रकम भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी एवं उसकी वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

(7) इस धारा के अधीन प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत खर्च प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा एवं ऐसा प्रमाणपत्र तथा उपधारा (5) के अधीन उपकर का अभिनिर्धारण, यदि कोई हो, भी अन्तिम होगा।

(8) यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट भूमि के स्वामियों और बस्ती–निर्माणकर्ता या सोसाइटी के बीच किसी करार के अधीन सुख सुविधा प्रदान करने या विकास कार्य करने का उत्तरदायित्व ऐसे बस्ती–निर्माणकर्ता या सोसाइटी पर निर्भर है, तो स्वामियों द्वारा उस उपधारा के अधीन संदेय उपकर उनके द्वारा यथास्थिति, बस्तीनिर्माणकर्ता या सोसाइटी से वसूलनीय होगा।

34– कतिपय मामलों में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति

जहाँ प्राधिकारण द्वारा किसी क्षेत्र का विकास किया गया है, वहाँ प्राधिकरण उस स्थानीय प्राधिकरण से, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर इस प्रकार विकसित किया गया क्षेत्र स्थित हो, उन सुख–सुविधाओं के, जिन्हें प्राधिकरण उस द्वारा क्षेत्र में प्रदान किया गया है, रख–रखाव के लिए एवं उन सुख–सुविधाओं के, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में प्रदान किया गया है, रख–रखाव के लिए एवं उन सुख–सुविधाओं के, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में प्रदान नहीं कराया गया है, किन्तु जिन्हें उनकी राय में उस क्षेत्र में प्रदान किया जाना चाहिए, प्राधिकरण के बीच सहमत हुए निबन्धनों एवं शर्तों पर, और जहाँ ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर सहमति नहीं हुई हो, वहाँ प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को उस विषय के निर्देश पर स्थानीय प्राधिकरण से विचार करके सरकार द्वारा नियत किये गये निबन्धनों एवं शर्तों पर प्रदान करने की लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करने की अपेक्षा कर सकेगा।

35– प्राधिकरण की विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति

(1) जहाँ प्राधिकारण की राय में, किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किसी विकास योजना के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में, जिसे उस विकास से लाभ प्राप्त हुआ है, किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है या होगी, वहाँ प्राधिकरण उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में, जो विकास के निष्पादन के परिणामस्वरूप हुआ है, विकास प्रभार उद्गृहीत करने का हकदार होगाः

परन्तु यह कि कोई विकास प्रभार सरकार के स्वामित्व की भूमि की बाबत उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहाँ सरकार से सम्बद्ध कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टे या अनुज्ञप्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई है, वहाँ उस भूमि या उस पर स्थित कोई भवन इस धारा के अधीन विकास प्रभार के अधीन होगा।

(2) ऐसा विकास प्रभार–

(i) विकसित नगर या बस्ती में, यदि कोई हो, या अन्य क्षेत्र में स्थित विकसित अथवा पुनर्विकसित किसी सम्पत्ति की बाबत धनराशि में एक–तिहाई,

(ii) यथापूर्वोक्त ऐसे नगर, बस्ती या अन्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के बाबत धनराशि की एक–तिहाई से अनधिक,

धनराशि होगी, जिसके द्वारा विकास योजना के निष्पादन के पूर्ण होने पर सम्पत्ति का मूल्य आकलित किया गया है, मानो सम्पत्ति भवन से खाली हो, जो ऐसे निष्पादन से पूर्व उस रीति से आकलित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक है।

36– प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण

(1) जब उपाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट योजना में विकास प्रभार की धनराशि निर्धारित किए जाने को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त प्रगति की गई है, तब उपाध्यक्ष इस निमित्त किए गए आदेश के द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि विकास प्रभार को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए योजना का निष्पादन पूर्ण किया गया माना जाएगा और ऐसा होने पर सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि उपाध्यक्ष धारा 34 के अधीन सम्पति के सम्बन्ध में विकास प्रभार की रकम का अभिनिर्धारण करने की प्रस्थापना करता है।

(2) उपाध्यक्ष इसके पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सन्देय विकास प्रभार की रकम का अभिनिर्धारण ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् करेगा और ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष के अभिनिर्धारण की लिखित में सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर लिखित में घोषणा द्वारा उपााध्यक्ष को सूचित करेगा कि वह अभिनिर्धारण को स्वीकार करता है अथवा उससे असहमत है।

(3) जब उपााध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित अभिनिर्धारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब ऐसा अभिनिर्धारण अन्तिम होगा।

(4) यदि सम्बन्धित व्यक्ति अभिनिर्धारण से असहमत हो या उपाध्यक्ष को उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में विफल रहता है, तो मामले का अवधारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और ऐसा अवधारण किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

37– विनिश्चय की अन्तिमता

जो [1]{धारा 7–ख} में उपबन्धित है, उसके सिवाय अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक निर्णय और अपील पर, (यदि वह होती है एवं दाखिल की जाती है), केवल किसी निर्णय के अधीन रहते हुए धारा 15 या धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 29 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[1]{37—क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा

(1) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम के अनुसार निस्तारण किया जा सकता है, कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा आच्छादित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिए राज्य सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के विरुद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकेगा।

(3) सभी वाद, अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और इन वादों से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया सहिंता, 1908 (अधिनियम सं0 5 वर्ष 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेष 39 के अधीन कार्यवाहियों सहित अन्य सभी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक कार्यवाहियाँ, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों और अन्तरिम आदेशों से उत्पन्न सभी निगरानी जो इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी मामले से सम्बन्धित हों एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से अन्तरित हो जायेंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण मामलों को उसी रीति से निस्तारित करेगा, मानो कि वह इस अधिनियम की धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7—ख के अन्तर्गत योजित हुए हों:

परन्तु यह कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7—ख के उपबन्धों के अध्यधीन कोई परिवाद अथवा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, के साथ जिस स्थिति में वाद उपर्युक्त रूप में अन्तरित किया गया हो, को आगे उस प्रकार चलायेगा जैसे कि मानो यह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।}

38— विकास प्रभार का संदाय

(1) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत विकास प्रभार ऐसी किश्तों में संदेय होगा और प्रत्येक किश्त ऐसे समय पर और ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जैसे इस निमित्त बनाई गयी उपविधि द्वारा नियत किया जाये।

(2) विकास प्रभार का कोई बकाया भू—राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा और ऐसे बकाए के रूप में वसूलनीय होगा और ऐसे बकाए की वसूली हेतु सिविल न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया जाएगा।

[2]{38—क. भू—उपयोग परिवर्तन अधिभार और नगरीय विकास अधिभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति

(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन किसी भू स्वामी के अनुरोध पर महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूमि का भू—उपयोग परिवर्तित किया जाता है, वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, स्थानीय विकास प्राधिकरण को भू—उपयोग परिवर्तन प्रभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा:

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 30 द्वारा अन्तःस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 31 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार के दौरान नहीं की जायेगी, वरन् भू उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक से व्यवहरण शुल्क के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसी धनराशि ली जा सकेगी जो कि आवेदन पत्र के परीक्षण एवं समाचार पत्रों में आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक हो। सम्यक विचारोपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाये जाने पर ही भू उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भू–स्वामी से की जायेगीः

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भूमि का भू–उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् स्वतः परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई भू–उपयोग परिवर्तन अधिभार, ऐसी भूमि के स्वामी से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि संकलित करने और उसका विकास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, नगरीय विकास प्रभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।}

[1]{39– • • • • • • • • • • }

39क– सुख–सुवधिाओं के लिए पथकर

प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के भीतर, ऐसे मशहूर सैरगाह (जिसमें प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक भी शामिल हैं) के लिए, जैसे अधिसूचित किया जाय, आगन्तुकों से ऐसी दर पर और ऐसी रीति से, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, सम्पर्क मार्गों और अन्य सुख–सुविधाओं के उपयोग के लिए पथकर प्रभारित करने और एकत्र करने का हकदार होगाः

परन्तु यह किः

(क) प्रति आगन्तुक पथकर की दर एक हजार रुपए से अनधिक होगा

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आगन्तुकों के किसी वर्ग या वर्गों को पथकर के संदाय से मुक्त कर सकेगी और कोई दिन या दिनों को नियत कर सकेगी, जिस पर कोई पथकर प्रभार्य नहीं होगा।

[2]{39–ख. भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा

स्थानीय विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाय, अनुज्ञा दे सकता है।}

40– प्राधिकरण के बकाया धन की वसूली

किसी शुल्क या प्रभार की दर में या किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किस्त द्वारा भूमि, भवन का या किसी अन्य सम्पत्ति, जंगम या स्थावर, के व्ययन से प्राधिकरण को शोध्य की वसूली इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन रहते हुए उपबन्धित वसूली को किसी अन्य रीति द्वारा वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

---

[1] **उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधित अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड नियम 2010 के 7) द्वारा रद्द।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013, के संशोधन संख्या 32 द्वारा अन्तःस्थापित।**

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजी गई रकम के प्रमाणपत्र पर भू–राजस्व के बकाए के रूप में, या

(ख) ऐसी रीति से, जैसे उ0प्र0 नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (1959 का 2) की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 एवं 514 में उपबंधित है, वसूली सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा की जा सकेगी और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्राधिकरण के बकाए की वसूली के बारे में ऐसे लागू होंगे जैसे वे नगर महापालिका के कर के बकाए की वसूली के लिए लागू होते हैं, तथापि उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में 'मुख्य नगर अधिकारी', 'महापालिका' तथा 'कार्यपालक समिति' के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन क्रमशः 'उपाध्यक्ष', 'विकास प्राधिकरण' एवं 'अध्यक्ष' के रूप में किया जाएगाः

परन्तु यह कि वसूली को दो या अधिक रीति से प्रारम्भ नहीं किया जाएगा अथवा एक साथ जारी नहीं रखा जाएगा।

41— राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

(1) [1]{स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे निर्देशों को क्रियान्वित करेंगे, जैसे इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उसको जारी किए जाएं।

[2]{(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और यहाँ तक कि स्थानीय प्रकरणों अथवा उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त/पदाभिहित व्यक्ति/अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।}

[3]{(3) ************************}

(4) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

42— विवरणी एवं निरीक्षण

(1) प्राधिकरण राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा, से राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव बिना, राज्य सरकार अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, महायोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण से रिपोर्ट, विवरणी या अन्य सूचना मँगा सकेगा।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 33 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 33 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 33 (3) द्वारा निरसित।**

(3) राज्य सरकार या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों की सहायता से या के बिना किसी भूमि में या पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश कर सकेगा कि क्या महायोजना के उपबन्धों का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा किया गया है अथवा क्या विकास ऐसी योजना के अनुसार किया जा रहा है या किया गया है।

(4) ऐसा कोई भी प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी नहीं है, तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा।

43— नोटिस आदि की तामील

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएँ, आदेश और अन्य दस्तावेज, जैसे इस अधिनियम या ऐसे नियम या विनियम में अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय सम्यक् रूप से तामील किया गया माना जाएगा—

(क) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, यदि दस्तावेज कम्पनी के सचिव को उसके पंजीकृत कार्यालय या उसके प्रधान कार्यालय या कारोबार के सीान पर भेजा जाता है एवं या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; अथवा

(ii) पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारबार के स्थान पर सौंपा जाता है।

(ख) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति कोई फर्म है, यदि दस्तावेज फर्म को उसके मुख्य कारोबार के स्थान पर उस नाम या पदनाम द्वारा, जिसके अधीन उसका कारोबार किया जाता है, उसकी पहचान करके भेजा जाता है और या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, अथवा

(ii) उसके कारोबार के स्थान पर सौंपा जाता है।

(ग) जहाँ तामील किया जाने वाला व्यक्ति सार्वजनिक निकाय या निगम अथवा सोसाइटी अथवा अन्य निकाय है, यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य प्रमुख अधिकारी को उसके प्रधान कार्यालय पर भेजा जाता है, और या तो—

(i) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, अथवा

(ii) उस कार्यालय पर सौंपा जाता है।

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज तामील किये जाने वाले व्यक्ति को भेजा जाता है, और—

(i) उसे दिया या सौंपा जाता है, अथवा

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान या कारोबार के स्थान पर के, यदि वह विकास क्षेत्र के भीतर हो, किसी सहज दृश्य स्थल पर चिपकाया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाता है या सौंपा जाता है या उस भूमि अथवा भवन के, जिससे वह सम्बद्ध है, किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाता है, अथवा

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है।

(2) कोई दस्तावेज, जो किसी भूमि या भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी पर तामील किया जाना अपेक्षित है अथवा प्राधिकृत है, उस भूमि या भवन के उस भूमि या भवन के (उस भूमि या भवन को नामित करते हुए), यथास्थिति, "स्वामी" या "अधियोगी" को पुनः नाम या विवरण के बिना सम्बोधित किया जा सकेगा और सम्यक् रूप से तामील किया गया समझा जाएगा—

(क) यदि इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार भेजा या सौंपा जाता है;

(ख) यदि इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज या इस प्रकार सम्बोधित उसकी प्रति उस भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है या जहाँ भूमि या भवन पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसको उसे सौंपा जा सकता है, वहाँ उसे भूमि या भवन के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाया जाता है।

(3) जहाँ दस्तावेज की तामील उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी फर्म पर की जाती है, वहाँ दस्तावेज को उस फर्म के प्रत्येक भागीदार पर तामील किया गया समझा जाएगा।

(4) किसी सम्पति के स्वामी पर किसी दस्तावेज की तामील को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण का सचिव लिखित सूचना के द्वारा सम्पति के अधिभोगी (यदि फर्म है) से उसके स्वामी के नाम और पते को बताने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहाँ वह व्यक्ति, जिस पर दस्तावेज की तामील किया जाना है, अवयस्क है, वहाँ उसके संरक्षक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर तामील अवयस्क पर की गई तामील समझी जाएगी।

(6) इस धारा के अर्थ के भीतर सेवक परिवार का सदस्य नहीं है।

44— सार्वजनिक सूचना को जानकारी में कैसे लाया जाएग?

इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक सार्वजनिक सूचना लिखित रूप में होगी, जिस पर प्राधिकरण के सचिव का हस्ताक्षर हागा और तद्द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के भीतर सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों पर उसकी प्रतियाँ चस्पा करके या ढोल बजाकर या उस स्थानीय क्षेत्र में परिचालन रखने वाले समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा या इन साधनों में से दो या अधिक रीति में और अन्य किसी साधन द्वारा जैसे सचिव उपयुक्त समझे, व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

45— सूचना, आदि, युक्तियुक्त समय नियत करने के लिए

जहाँ इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गई या दी गयी कोई सूचना, आदेश, या दस्तावेज किसी बात को किए जाने की अपेक्षा करता है, वहाँ जिसके किये जाने के लिए इस अधिनियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया गया है, वहाँ ऐसी सूचना, आदेश अथवा अन्य दस्तावेज उसे करने हेतु युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट करेगा।

46— आदेशों का प्रमाणीकरण तथा प्राधिकरणों के दस्तावेज

प्राधिकरण की सभी अनुमति, आदेश विनिश्चिय, सूचना एवं अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएँगे।

[1]{46—क. राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणन :—

राज्य प्राधिकरण की सभी अनुज्ञाएं, आदेश, सूचनाएं और अन्य अभिलेख मुख्य प्रशासक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किए जायेंगे।}

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 34 द्वारा अन्तःस्थापित।**

47— सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे

प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक होना समझे जाएंगे।

[1]{**47—क. राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे**

राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोकसेवक समझे जायेंगे।}

48— न्यायालयों की अधिकारिता

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम [2]{की धारा 26} के अधीन दण्डनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

49— अभियोजन की मंजूरी

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

50— सद्भाव में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भाव से की जाती है, या किये जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

51— प्रत्यायोजन करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग, ऐसे अधिकारी द्वारा भी, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाए, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि विनियम या उपविधि बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाए, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाय, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय।

[3]{(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 35 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 36 द्वारा अन्तःस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशाधन संख्या 37 द्वारा अन्तःस्थापित।**

हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।}

52— व्यावृति

इस अधिनियम की कोई बात—

(क) किसी भवन के रख—रखाव, सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के कार्य को कार्यान्वित करने हेतु, जो ऐसा कार्य है, जो मात्र भवन के आन्तरिक भाग को प्रभावित करता है, अथवा जो भवन के बाहरी स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करता है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी नाली, गन्दे नाले, मुख्य तार, पाइप, केबल अथवा अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत करने या नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कार्य के, जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन हेतु किसी गली या अन्य भूमि को तोड़ना शामिल है, किए जाने को;

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा या की ओर से संक्रियात्मक निर्माण (रख—रखाव, विकास एवं नए निर्माण को सम्मिलित करके);

(घ) ऐसे भवन के निर्माण को, जो निवास गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के आनुषंगिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

(ङ) कृषि सम्बन्धी कार्य के सामान्य अनुक्रम में किये गए खनन कार्य (कुओं को सम्मिलित करते हुए) को; और

(च) गिट्टी रहित सड़क के निर्माण को, जो एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि तक सम्पर्क बनाने के लिए हो।

53— छूट

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के हाते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जैसे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी भूमि या भवन अथवा भूमि या भवन के वर्ग को इस अधिनियम के उपबन्धों में से सभी या किसी या इसके अधीन बनाये गये नियमावली या विनियमों से छूट प्रदान कर सकेगी।

54— कतिपय मामलों में योजना को उपान्तरित किया जाना

(1) जहाँ विकास क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की, महायोजना या आंचलिक विकास योजना द्वारा खुले स्थान के रूप में या उस पर बिना निर्माण के रखे जाने की अपेक्षा की जाती है या किसी ऐसी योजना में अनिवार्य अर्जन के विषय के रूप में परिकल्पित की जाती है, वहाँ यदि धारा 12 के अधीन योजना के प्रवर्तित होने की तिथि से दस वर्ष बीतने पर या जहाँ ऐसी भूमि ऐसी योजना के किसी संशोधन द्वारा इस प्रकार अपेक्षित या परिकल्पित है, वहाँ धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन संशोधन के प्रवर्तित होने की तिथि से भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं की जाती है, वहाँ भूस्वामी राज्य सरकार पर इस प्रकार अर्जित की जाने वाली भूमि में अपने हित की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा।

(2) यदि राज्य सरकार नोटिस की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर भूमि अर्जित करने में विफल रहती है, तो, यथास्थिति, महायोजना या आंचलिक विकास योजना का उक्त छह मास के अवसान पर ऐसा प्रभाव होगा, मानो भूमि खुले स्थान के रूप में या उस पर निर्माण न कराये जाने के रूप में अर्जित नहीं की गई थी अथवा अनिवार्य अर्जन के अधीन परिकल्पित नहीं थी।

55— नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार [1]{या राज्य प्राधिकरण}, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्ट रूप से पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए उपबंध बना सकेंगे, अर्थात—

(क) धारा 15 की उपधारा (5) या धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अपील के ज्ञाप पर शुल्क का उद्ग्रहण;

(ख) विकास प्रभार को निर्धारित करने में अध्यक्ष द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शक्तियाँ, जो उसे इस प्रयोजन के लिए प्राप्त होगी;

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियम द्वारा विहित किया जाना हो या किया जा सकेगा।

[2]{(3) **********************}

56— विनियमय बनाने की शक्ति

(1) [3]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन, से [4]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के मामलों के प्रशासन हेतु ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाने तथा आयोजित करने के लिए समय और स्थान जहाँ, ऐसी बैठकें आयोजित की जानी हैं, ऐसी बैठक के कारबार का संचालन एवं गणपूर्ति बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) प्राधिकरण के सचिव तथा मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

[5]{(खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य;}

(ग) सचिव, मुख्य लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 38 (1) द्वारा अन्तःस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 38 (2) द्वारा निरसित।

[3,4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 38 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 39 (2) द्वारा अन्तःस्थापित।

[1]{(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;}

(घ) अध्याय 3 एवं 4 के अधीन प्राधिकरण से, के कार्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ङ) अनुमति हेतु आवेदन की पंजी का प्रारूप तथा प्रक्रिया एवं ऐसी पंजी में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ;

(च) [2]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(छ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन पर संदाय किया जाने वाला शुल्क;

(ज) निरीक्षण के लिए या दस्तावेजों तथा नक्शों की प्रतियों का प्राप्त करने हेतु संदाय किया जाने वाला शुल्क;

(झ) कोई अन्य विषय, जिसे विनियम द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाए।

(3) जब तक इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र हेतु प्राधिकरण की स्थापना नहीं की जाती है, तब तक कोई विनियम उपधारा (1) के अधीन बनाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाये गए किसी विनियम को सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा उपधार (1) के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में परिवर्तित या विखण्डित किया जा सकेगा।

57— उपविधि बनाने की शक्ति

[3]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो}, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जन सामान्य को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत उपविधि बना सकेगा तथा इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ऐसी उपविधि–

(क) प्रारूप, जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए कोई आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियाँ;

(ख) धारा 16 में निर्दिष्ट निबंधनो एवं शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए योजना के उल्लंघन में भूमि एवं भवन का प्रयोग करने वाला बना रहेगा।

(खख) धारा 32 के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त;

(ग) धारा 30 के अधीन विकास प्रभार के संदाय का समय एवं रीति;

(घ) भवन निर्माण योजना अथवा जलापूर्ति, जल निकास एवं मल जल निकास योजना की तैयारी हेतु वास्तुविद, नगर नियोजन अभियन्ता, सर्वेक्षक और प्रारूपकार को अनुज्ञप्ति मंजूर करने और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क;

(ङ) जब तक धारा 9 के अधीन आंचलिक विकास योजना तैयार न की गई हो, तब तक उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट मामले;

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशाधन संख्या 39 (3) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 39 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 40 द्वारा प्रतिस्थापित।**

(ङङ) प्रमुख मार्ग और रंग योजना तथा अन्य विनिर्दिष्टीकरण की परिभाषा, जिनके अनुसार ऐसी सड़क से लग हुए भवनों के गृह मुख को तैयार किया जाएगा, धारा 12—क के अधीन सफेदी, रंगायी या रंजन करने;

(च) कोई अन्य विषय, जिसे उपविधि द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकेगा के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

58— प्राधिकरण का विघटन

(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वह प्रयोजन, जिसके लिए [1]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} का इस अधिनियम के अधीन गठन किया गया था, सारवान रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं ताकि राज्य सरकार की राय में, [2]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} की सतत विद्यमानता को अनावश्यक बना दे, वहाँ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार घोषणा कर सकेगी कि [3]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} का विघटन ऐसी तिथि से किया जाय, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और तद्नुसार [4]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} को विघटित किया गया समझा जाएगा।

(2) उक्त तिथि से—

(क) समस्त सम्पत्ति, निधि एवं बकाया, जो [5]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} में निहित हों, अथवा वसूल किये जाने योग्य हों, राज्य सरकार में निहित होंगे या द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगे;

(ख) [6]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के व्ययन में रखी गई समस्त नजूल भूमियाँ राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी;

(ग) [7]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के विरुद्ध प्रवर्तनीय समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे; और

(घ) किसी ऐसे विकास कार्य को, जो [8]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} द्वारा पूरा नहीं किया गया है, कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्ति, निधि एवं बकाए की वसूली के प्रयोजन के लिए [9]{राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो} के कार्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

[1,2,3,4,5] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 41 द्वारा प्रतिस्थापित।**

[6, 7,8,9] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 41 द्वारा प्रतिस्थापित।**

59— निरसन, आदि तथा व्यावृति

(क) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 5 के खण्ड (ग), धारा 54, 55, 56 एवं 114 का खण्ड (xxiii), धारा 117 की उपधारा (3), धारा 119 की उपधारा (1) का खण्ड (ग), धारा 191, धारा 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333 एवं धारा 334 की उपधारा (1) का खण्ड (क) एवं (ख), धारा 335, 336, अध्याय 14, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178, 179, 180, 180—क, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 एवं 222 (या उसकी उक्त धाराएँ धारा 338 के अधीन या संयुक्त प्रान्त नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 की धारा 38 के अधीन विस्तृत की गयी हैं) या, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 एवं उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन (सिवाय उन गृह निर्माण या सुधार योजनाओं के विकास के उसमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित किया गया है या जो उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचित किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम के अधीन सतता के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, या जो ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से एतस्मिनपश्चात् विशेष आवास परिषद् योजना के रूप में निर्दिष्ट किये जाएँगे, प्रारम्भ किये गये हैं) विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में निलम्बित रहेंगे, एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 139 की उपधारा (3) का वही प्रभाव होगा, मानो विकास निधि के गठन से सम्बन्धित अपेक्षाओं को उस क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन की तिथि से निलम्बित किया गया हो, एवं जब तक ऐसे प्राधिकरण का विघटन नहीं होता है तथा संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 एवं 24 के प्रावधान ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे, मानो निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति के निरसन के समान हो एवं विशेष रूप से भूमि के अर्जन से सम्बन्धित सभी कार्यवाही एवं उक्त अधिनियमिति के अधीन सुधार योजनाओं के लिए भूमि में हित, जो ऐसे निलम्बन के तत्काल पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लम्बित हैं, जारी रहेंगे एवं उक्त अधिनियमिति के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत किये जाएंगे (जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे, माना ये प्रावधान निलम्बित नहीं किये गये थे और किसी ऐसी बात को करने की शक्तियाँ, जिसे ऐसे निलम्बन के लिए उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण संक्रिया विनियम) अधिनियम, 1958 के लिए विहित प्राधिकरण एवं नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा किये जा सकते थे एवं ऐसे निलम्बन के पश्चात उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के लागू होने के कारण किये जा सकते हैं, क्रमशः उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष में निहित होंगी।

[1]{(कक) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) विकास क्षेत्र की उद्घोषणा की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1986) के अन्तर्गत गठित उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग हो जायेगा।}

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(1) द्वारा अन्तःस्थापित।**

(ख) खण्ड (क) [1]{और खण्ड (कक)} के कारण निलम्बित [2]{और निरसित} उपबन्धों का प्रवर्तन धारा 58 के अधीन प्राधिकरण के विघटन पर पुनरुज्जीवित होगा एवं संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 एवं 24 के उपबन्ध इस अधिनियम के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अनुप्रयोग की समाप्ति के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे, मानों ऐसी समाप्ति [3]{उत्तराखण्ड} अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के इन उपबन्धों के निरसन के रूप में माना जाये।

(ग) खण्ड (क), [4]{और खण्ड (कक)} एवं (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, उत्तर प्रदेशर नगरपालिका अधिनियम, 1916 अथवा उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम 1958 अथवा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 [5]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986} के अधीन कोई उपविधि, निर्देश या विनियम एवं इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के तुरन्त पूर्व की तिथि पर प्रवर्तन में हों, जहाँ तब वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवर्तन में बने रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायँ।

[6]{(घ) इस अधिनियम के अधीन गठित सभी विकास प्राधिकरण विद्यमान रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण समझे जायेंगे तथा उनके द्वारा ऐसी पदास्थिति में निर्वहन किए गए कोई कृत्य अथवा कर्तव्य इस अधिनियम के अधीन किए गए कृत्य और कर्तव्य समझे जायेंगे।}

(2) जहाँ किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रान्त नगर सुधार अधिनियम, 1919 के अधीन गठित किया गया सुधार न्यास अस्तित्व में है, धारा 3 के अधीन उसे विकास के रूप घोषित किया जाता है, वहाँ उक्त अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासन की नियुक्ति) अधिनियम, 1961, यदि लागू हो, तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध उस क्षेत्र के लिए विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से निरसित हो जाएगा तथा उस तिथि से विकास न्यास विघटित हो जाएगा।

(3) उस विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, ऐसे विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित सम्पूर्ण नगर शामिल है, विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि को एवं से ऐसे विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से तत्काल पूर्व उत्तर प्रदेश

---

[1] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(3) द्वारा अन्तःस्थापित।

[2] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(2) द्वारा अन्तःस्थापित।

[3] अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 की अधिसूचना संख्या 1081/श0वि0–आ0/2002–(238) /2002 दिनांक 8.112002 एवं अधिसूचना 504/v/-A–2007–08 (आवास)/2007, दिनांक 12.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(3) द्वारा अन्तःस्थापित।

[5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(4) द्वारा अन्तःस्थापित।

[6] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(5) द्वारा अन्तःस्थापित।

(भवन निर्माण संक्रिया का विनियम) अधिनियम, 1958 [1]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986} के अधीन अथवा उक्त अधिनियम में अध्याय 14 के अधीन अनन्य रूप से उसके क्रियान्वयन के बारे में उक्त नगर के नगर निगम की स्थापना पर सृजित किए गए सभी पद, जो उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयकृत) से नियमावली, 1966 (एतस्मिनपश्चात् इस धारा में केन्द्रीयकृत सेवा के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा शासित पद नहीं है, ऐसी तिथि को एवं से विकास प्राधिकरण को ऐसे पदनाम के साथ अन्तरित होंगे, जैसे प्राधिकरण निर्धारित करे तथा ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जो उस नगर की नगर निगम के अधीन सेवारत किसी केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य नहीं हैं, और ऐसे अन्तरित पद की संख्या से अनधिक हैं, ऐसे निर्देशों के साथ चयनित होंगे, जैसे उस पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं, ऐसे चयन पर विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जाएंगे एवं उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी बन जाएंगे और उसके नाते ऐसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा के ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जो वे धारण करते, यदि प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया होता और ऐसा करते रहेंगे, जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक एवं निबन्धनों तथा शर्तों को प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाएः

परन्तु यह कि प्राधिकरण के गठन से पूर्व ऐसे किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा नगर निगम [2]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में विहित कृत्यों के सम्बन्ध में} के अधीन प्रदत्त की गई किसी सेवा को प्राधिकरण के अधीन प्रदत्त की गयी सेवा देना समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों को निवर्हन हेतु किसी ऐसे अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी को नियोजित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे, और ऐसा प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी तद्नुसार उन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(4) उस विकास के क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित एवं सम्पूर्ण नगर शामिल है, विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि को और से केन्द्रीयकृत सेवा द्वारा शासित ऐसे समस्त पद, जो विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से ठीक पूर्व उसके पूर्व क्रियाकलाप के बारे में अनन्य रूप से उस नगर निगम [3]{या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण} के गठन के बाद सृजित किये गये हैं, ऐसी तिथि को और से ऐसे पदनाम के साथ विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जाएँगे, जैसे राज्य सरकार निर्धारित करे, किन्तु ऐसे सभी पद केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों द्वारा निरन्तर भरे जाएंगे, जैसे वे उस समय भरे गये होते, यदि वे प्राधिकरण को ऐसे अन्तरित न किए जाते तथा उक्त अधिनियम एवं केन्द्रीयकृत सेवा से सम्बद्ध नियम तद्नुसार संशोधित किए जाएंगे।

(5) विकास प्राधिकरण के गठन की तिथ से ठीक पूर्व उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी तिथि को एवं से ऐसे पदनाम के साथ विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जाएंगे और एसे पदनाम के साथ उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी बन जाएँगे, जैसे प्राधिकरण निर्धारित करे और उसी अवधि के लिए उतने ही पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन पद धारण करेंगे, जैसे वे तब धारण करते, यदि प्राधिकरण

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(6) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(7) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[3] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(8) द्वारा अन्तःस्थापित।**

का गठन न किया गया हाता और ऐसा करते रहेंगे जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक एवं निबन्धनों तथा शर्तों को प्राधिकरण द्वारा समुचित रूप से परिवर्तित न कर दिया जाएः

परन्तु यह कि प्राधिकरण के गठन के पूर्व ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा न्यास के अधीन प्रदत्त की गयी सेवा को प्राधिकरण के अधीन प्रदत्त की गयी सेवा समझा जायेगाः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के निर्वहनों में ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नियोजित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे और ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी तद्नुसार उन कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(6) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के होते हुए भी,–

(क) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के अधीन की गई कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई (जिसमें जारी की गई कोई अधिसूचना अथवा दिए गए किसी आदेश अथवा योजना या दी गई अनुमति शामिल है), जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवर्तित बना रहेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या की गयी मानी जाएगी, जब तक उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई से अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता है।

(ख) विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम के द्वारा समनुदिष्ट कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बन्धित उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त ऋण, बाध्यता या दायित्व, से की गई समस्त संविदा और द्वारा गए सभी कार्यों एवं बातों को सम्बद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत किया गया या से किया गया या के लिए किए जाने हेतु संलग्न होना समझा जाएगा।

(ग) समस्त सम्पत्तियाँ, चाहे चल हों या अचल, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास में निहित हों, सम्बद्ध विकास प्राधिकरण में निहित होंगी। इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण में समनुदिष्ट कृत्यों के निवर्हन से अनन्य रूप से सम्बन्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित समस्त सम्पत्तियाँ, चल एवं अचल, सम्बद्ध विकास प्राधिकरण में निहित होंगी,

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार न्यास अथवा इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदिष्ट कृत्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बद्ध शोध्य समस्त किराया शुल्क और धन की अन्य रकम विकास प्राधिकरण के प्रति शोध्य समझी जाएगी।

(ङ) संस्थित किये गये समस्त वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाही अथवा जो इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समुदिष्ट कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित प्राधिकरण द्वारा, के लिए या के विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है, विकास प्राधिकरण द्वारा, के लिए या के विरुद्ध जारी रह सकेगा या संस्थित किया जा सकेगा।

(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र की बाबत उ0प्र0 (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 [1]{और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013, के संशोधन संख्या 42(9) द्वारा अन्तःस्थापित।**

अधिनियम, 1986 के अधीन समस्त अपील} की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सभी अपीलें, जो ऐसी घोषणा की तिथि पर नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थीं, अध्यक्ष को अंतरित हो जाएंगी एवं अध्यक्ष का उस पर निर्णय अन्तिम होगा और ऐसी सभी अपीलें, जो नियंत्रण प्राधिकारी को सम्बोधित की गई थीं एवं जो उक्त घोषणा के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं, अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई समझी जाएंगी और उस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 [1]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों} की धारा 139 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विकास निधि एवं उस निधि से सृजित सम्पूर्ण सम्पति और ऐसी सम्पति की बाबत अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 14 में विनिर्दिष्ट [2]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन उपबन्धों} कार्यों के सम्बन्ध में निगम [3]{या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण} द्वारा उपगत समस्त ऋण, बाध्यता एवं दायित्व, के साथ की गई समस्त संविदा एवं उसके लिए किये जाने के लिए संलग्न सभी कार्यों एवं बातों को इस अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण को समनुदिष्ट कृत्यों के निर्वहन से सम्बद्ध होना समझा जाएगा एवं खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) तद्नुसार लागू होंगे।

(7) यदि किसी स्थानीय अथवा विकास प्राधिकरण के बीच इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई ऋण, बाध्यता अथवा दायित्व उपगत किया गया था अथवा उसके साथ कोई संविदा की गई थी अथवा की जाने वाली किसी बात से संलग्न हुआ था अथवा विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा समनुदिष्ट कार्यों के निर्वहन से अनन्य रूप से सम्बद्ध किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई किराया, शुल्क या अन्य रकम बकाया थी, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(8) यदि इसके बारे में को प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए नगर निगम [4]{या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण} का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी विकास प्राधिकरण के गठन की तिथ से ठीक पूर्व अनन्य रूप में, जिसके लिए विकास प्राधिकरण गठित किया गया था, उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 [5]{या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986} के अध्याय 14 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में अनन्य रूप से नियोजित किया गया था, तो इसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

[1,2,3] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013, के संशोधन संख्या 42(10) द्वारा अन्तःस्थापित।

[4,5] उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(11) द्वारा अन्तःस्थापित।

(9) उपधारा (3) और (4) की कोई बात, यथास्थिति, नगर निगम अथवा सुधार ट्रस्ट [1]{या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण} के ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जो सम्बद्ध विकास अधिकरण के गठन की तिथि से एक मास के भीतर नगर निगम अथवा ट्रस्ट [2]{या राज्य सरकार} को विकास प्राधिकरण का कर्मचारी न होने की अपनी राय की सूचना दे देता है, और उस निकाय द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसके अधीन उसका नियोजन तत्पश्चात् समाप्त हो जाएगा एवं उस निकाय के अधीन उसके पद का उन्मूलन हो जाएगा और वह उक्त निकाय से–

(क) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से तुरन्त पूर्व स्थायी हैसियत में नियोजित किया गया था, तो तीन मास के वेतन के समतुल्य,

(ख) यदि वह विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से तुरन्त पूर्व अस्थायी तौर पर नियोजित किया गया था, तो एक मास के वेतन के समतुल्य।

प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में शब्द "वेतन" के अन्तर्गत महँगाई भत्ता, विशेष वेतन या आवधिक भत्ता अथवा वेतन के समान कोई अन्य भत्ता शामिल है।

(10) उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवा का अन्तरण उसे उस अधिनियम अथवा अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(11) उपधारा (3) और (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, की गई कोई नियुक्ति या पदोन्नति, वेतन–वृद्धि, पेंशन, भत्ता या अथवा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई अन्य लाभ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् एवं विकास प्राधिकरण के गठन की तिथि से पूर्व, जो विकास प्राधिकरण की राय में सामान्यतः नहीं किया जाएगा अथवा प्रदान नहीं किया जाएगा या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त सेवा के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन सामान्यतः ग्राह्य नहीं होगा, विकास प्राधिकरण से या किसी भविष्य निधि, पेंशन अथवा अन्य निधि से या निधि को शासित करने वाले किसी अन्य प्राधिकरण से प्रभावी होगा या सन्देय अथवा दावा योग्य होगा, यदि राज्य सरकार ने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की पुष्टि नहीं किया है या, यथास्थिति, पेंशन, भत्ता अथवा अन्य लाभ की स्वीकृति जारी रखने का निर्देश नहीं दिया है।

(12) उन व्यक्तियों को, जो प्राधिकरण के गठन की तिथि से तुरन्त पूर्व किसी विधि द्वारा या को अधीन नामनिर्दिष्ट न्यासियों से भिन्न उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्यनिधि, उपदान या अन्य समान निधि के न्यासी थे, ऐसे व्यक्तियों के न्यासी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाएँगे, जैसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(13) उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के प्रयोजनों के लिए उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन नगर निगम के समस्त कार्य तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965

[1,2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(12) द्वारा अन्तःस्थापित।**

के अधीन, किसी विशेष आवास परिषद् योजना [1]{और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन सभी कृत्यों} से सम्बन्धित कार्यों से भिन्न उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अन्य समस्त कार्य इस अधिनियम के अधीन विकास प्राधिकरण को समनुदिष्ट कार्य माने जांएगे।

(14) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 365 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि का समस्त अर्जन एवं सुधार योजना के लिए भूमि में हित, कृत्य जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन विकास प्राधिकरण को समनुदिष्ट कार्य के रूप में माना जाना है, 31 दिसम्बर, 1982 को अथवा के पूर्व कम से कम अधिनिर्णय करने के प्रक्रम तक पूर्ण किया जाएगा।

[2]{(15) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए कोई कृत्य/कृत्यों अथवा कार्यवाहियों/कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अविधिमान्य नहीं होंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सम्पादित सभी कृत्य और कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्पादित किए गए कृत्य समझे जायेंगे।}

60— निरसन और व्यावृति

(1) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अध्यादेश, 1973 (1973 का उ0प्र0 अध्यादेश 7) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई चीज या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, जून 1973 के 12वें दिन से प्रारम्भ हुआ था।

---

[1] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(13) द्वारा अन्तःस्थापित।**

[2] **उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013), के संशोधन संख्या 42(14) द्वारा अन्तःस्थापित।**